आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

मई 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

ग़ज़ा और यूक्रेन :
कहां है 'वैश्विक विवेक'?



“जब अल्लाह
किसी बन्दे से प्रेम करता है
तो वह उसको दुनिया से इस प्रकार
बचाता है जिस प्रकार तुममें से कोई
अपने बीमार को पानी से
परहेज़ कराता है।”
(हदीस : तिरमिज़ी)

A Well Wisher

J. I. H., Munger Unit,

(Bihar)



Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 11 मई 2025

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
वक़्फ़ संपत्तियों पर क़ानूनी डाका
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
कुछ सोचने की बातें
मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

सौंदर्य बोध 11
जीवन में अनुशासन का महत्व
जावेद इक़बाल

मुख्य स्तंभ 14
ग़ज़्ज़ा और यूक्रेन : कहां है 'वैश्विक विवेक'?
सुफ़ियान अहमद

दृष्टिकोण 19
न्याय का प्रश्न और मध्य-पूर्व का सच
संपादन प्रभाग

अभिमत 21
मध्य-पूर्व की आग में झुलसती मानवता
एफ़ेनस हेंडरसन

समाधान 23
बस,...अब और नहीं
लुबना सबूब

कविता 25
प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन
सुफ़ियान अहमद

समसामयिक 27
सच जानना चाहते हैं लोग
जितेंद्र गौतम

मंथन 31
कैसे बचे न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं साख ?
डॉ. प्रदीप कुमार

विचार 34
अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला
डॉ. अभय कुमार

प्रकाश स्तंभ 37
सहिष्णुता की सर्वोच्च मिसाल
डॉ. ताहिर रज़ा

इतिहास का सच और सच का इतिहास 40
समरसता बिगाड़ने के हथकंडे
ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी

सेहत 41
सांसों का फूलना, न करें नज़रअंदाज़
संपादन प्रभाग

करियर 43
विज्ञापन के क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते अवसर
संपादन प्रभाग

कहानी 45
पंख
तलत सौकेरत

व्यंग्य/कटाक्ष 47
वैश्विक विवेक का वेंटिलेटर
सुफ़ियान अहमद

आख़िरी पन्ना 49
आदर्श आचार संहिता
कर्नल सतीश वर्मा

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

वक़्फ़ संपत्तियों पर क़ानूनी डाका

करोड़ों ई-मेल, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष हज़ारों विज्ञापनों की प्रस्तुति, संसद भवन के निकट संसद सत्र के बीच में जन्तर-मन्तर पर मुस्लिम संगठनों का संयुक्त विरोध प्रदर्शन और संसद के दोनों सदनों में संपूर्ण विपक्ष का तर्कपूर्ण और तीखे विरोध के बावजूद भारतवर्ष की लोकतांत्रिक केंद्र सरकार ने 'संख्या बल' के दम पर 'वक़्फ़ अधिनियम-1995' पर विवादित संशोधन पास करवा लिया। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल उन राजनीतिक दलों ने भी वक़्फ़ संशोधन का समर्थन किया जो सफल लोकतंत्र के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते नहीं अघाते। जो राजनीति और शासन में सांप्रदायिक एजेंडे पर "ज़ीरो टोलेरेंस" का दावा करते रहे हैं।



वक़्फ़ संशोधन को पारित कराने की ज़िद्द के पीछे हुकूमत की बद-नियत्ती और साज़िश साफ़-साफ़ झलकती है। हुकूमत के कारिंदे संसद से लेकर टीवी स्टूडियोज़ में बैठकर 1995 के मूल क़ानून में संशोधन के पीछे जो तर्क देते नहीं शर्माते, वो है वक़्फ़ ज़मीनों पर नाजाएज़ क़ब्ज़ा और वक़्फ़ बोर्ड्स में व्याप्त भ्रष्टाचार की दुहाई। दुःख की बात ये है कि संशोधित अधिनियम, क़ब्ज़ा करने के जुर्म की सज़ा को कम करके क़ब्ज़ा करने वाले गैंग्स के साथ खड़ा है। यही नहीं ज़मीन पर स्वामित्व की बाबत जो लिमिटेशन एक्ट है, उसे अब वक़्फ़ प्रोपर्टीज़ पर भी लागू कर दिया गया है, जो 1995 के मूल क़ानून के मुताबिक़ वक़्फ़ संपत्तियों पर लागू नहीं होता था। यानी अब 12 साल या उससे अधिक दिनों के क़ब्ज़ा के उपरांत वक़्फ़ जायदाद भी क़ाबिज़ की तस्लीम की जायेगी। पहले क़ाबिज़ को ये धड़का लगा रहता था कि एक दिन ये जायदाद हाथ से निकल जायेगी, इसलिए कि वक़्फ़ की गयी चीज़, न बेची जा सकती है और न गिफ़्ट की जा सकती है। इस तरह इस संशोधन के पारित होते ही सरकारी और ग़ैर-सरकारी क़ब्ज़ा-शुदा हज़ारों जायदाद वक़्फ़ नहीं रहीं, यानी सीधे- सीधे वक़्फ़ प्रोपर्टी के ख़ुर्द-बुर्द करने की निय्यत और साज़िश झलकती है।

ये सही है कि कांग्रेस युग से वक़्फ़ संपत्तियों की लूट जारी है, लेकिन अब इसे क़ानूनी समर्थन भी मिल गया है यानी अब इस बदतरीन लूट को 'वैध' बना दिया गया है। कैसी दर्दनाक स्थिति है कि मुसलमानों द्वारा दान की

गयी बहुमूल्य सम्पत्तियां अब सरकारी एजेंसियों और निजी पार्टियों द्वारा लूट का जश्न मनाया जायेगा। ये बात स्पष्ट रहे कि सबसे अधिक वक़्फ़ जायदाद राज्य सरकारों ने क़ब्ज़ा किया हुआ है। वैसे ही अधिनियम में वक़्फ़ बोर्ड के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोई दवा नहीं बताई गयी है। क्या बोर्ड्स और परिषद में नॉन मुस्लिम सदस्यों की संख्या लाज़िमी कर देने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा? या कलेक्टर और उससे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी की प्रशासनिक शक्ति बढ़ा कर शक्ति के केंद्रिकरण से भ्रष्टाचार कम हो जाता है? या न्यायाधिकरण (tribunals) की शक्तियों को कमज़ोर करके और नौकरशाहों को न्यायिक अधिकार सौंप कर जो कि न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा?

इस संशोधित अधिनियम का खुले तौर पर असंवैधानिक होना, इसे काला क़ानून की श्रेणी में लाता है। संवैधानिक मूल्य और आत्मा, उदाहरणस्वरूप समानता और धार्मिक स्वतंत्रता पर जो कुठाराघात इस संशोधन के बहाने किया गया है, वो देश के भविष्य के लिए बेहद डरावना है। संविधान के बड़े- बड़े एक्सपर्ट्स एतिराज़ उठा रहे, ख़ुद लोकसभा और राज्यसभा में बड़े- बड़े विधिवेत्ता ने जो संवैधानिक गम्भीर एतिराज़ उठाया, उसका 'संख्या बल के नशे में बदमस्त सत्ता पक्ष' की ओर से संवैधानिक और वैज्ञानिक जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत वही घिसी-पिटी तुष्टिकरण का तर्क और सियासी जज़्बाती रट्टामारी करके आगे बढ़ती रही। ये संशोधित वक़्फ़ अधिनियम देश की दूसरी बड़ी आबादी को अपमानित और ज़लील करने का चुनावी राजनीतिक कुत्सित प्रयास भी मालूम पड़ता है। एक उदाहरण—वक़्फ़ बोर्ड्स में सदस्य बनने के लिए मूल क़ानून (1995)में एक लाइन भी ऐसा नहीं है जिससे कोई हिंदू लाज़मी तौर पर सदस्य न बन सके, या महिला सदस्य नहीं बन सकती। संशोधित अधिनियम में कुछ हिंदू और कुछ महिला सदस्यों को 'लाज़िमी' तौर पर बोर्ड में शामिल किया जाना, सोची-समझी राजनीतिक शरारत है ताकि मुसलमान प्रतिक्रिया दें और मौजूदा माहौल में मुसलमानों को हिंदू विरोधी और महिला विरोधी घोषित और अपमानित करके चुनावी फ़सल काटें। इस खेल में सत्ताधारी दल ख़ूब माहिर है और किसी हद तक कामयाब भी। यह विधेयक दूसरे अल्पसंख्यक समूहों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए चेतावनी भी है। उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए कि उनकी साझा संपत्ति अब शोषण का संभावित लक्ष्य बन चुकी है। ये केवल मुसलमानों के विरुद्ध घृणात्मक नीति का सूचक नहीं, बल्कि अन्य सभी अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी ख़तरे की घंटी है।

वक़्फ़ संशोधन को पारित कराने की ज़िद्द के पीछे हुकूमत की बद-नियती और साज़िश साफ़-साफ़ झलकती है। दुःख की बात ये है कि संशोधित अधिनियम, क़ब्ज़ा करने के जुर्म की सज़ा को कम करके क़ब्ज़ा करने वाले गैंग्स के साथ खड़ा है।

वक़्फ़ संशोधित अधिनियम, अल्पसंख्यकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा को कमज़ोर करने की दिशा में एक क़दम है। डॉ. अंबेडकर ने बार-बार ध्यान दिलाया था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा किए बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। यह अधिनियम मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान, पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर हमले का हिस्सा प्रतीत होता है।

अंत में,

इस संक्रमण काल में बहुत तेज़ी से ये असत्य फैलाया जा रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा देश को और बहुसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाया जायेगा, अतः इस क़ानून का विरोध हिंदू विरोध और देश विरोध है। सोशल मीडिया पर नफ़रती गैंग की तरफ़ से यहां तक अपील की जा रही है कि कोई हिंदू इस अधिनियम के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल न हो। हालांकि इस अधिनियम का बहुसंख्यक समुदाय से कोई संबंध नहीं है, और न ही इससे आम शहरियों का कोई फ़ायदा होने जा रहा, ये तो देश की साख़ पर बट्टा लगाने वाला क़ानून है। ख़ूब समझ लीजिए कि वक़्फ़ संपत्ति मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है, इससे दूसरे समुदाय को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, ये बस सरकारी निकम्मेपन से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। बहुसंख्यक समाज के बौद्धिक वर्ग को चाहिए कि वो इस अन्याय और खुले ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ में आवाज़ मिलाए और घिनौने राजनीतिक खेल का पर्दाफ़ाश करे। ■■

“जो लोग अपने माल को रात-दिन छिपे और खुले ख़र्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके ‘रब’ के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे।
(क़ुरआन, 2:274)”

A Well Wisher
J. I. H., Jabalpur,
Central (M.P.)



चिंतन



मुहम्मद इक़बाल मुल्ला

कुछ सोचने की बातें

विचार करने से पता चलता है कि मानव जीवन से संबंधित मूल प्रश्न ये हो सकते हैं कि उसे पैदा करने वाला और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? मानव और 'उसके' बीच का संबंध किस प्रकार का है? जीवनदाता के निकट मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ? संसार के रचयिता एवं निर्माता की इच्छा क्या है? इस जीवन का अंत मृत्यु है, या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, अगर है तो 'दूसरा' जीवन कैसे सफल हो सकता है ?

मानव जाति को एक ऐसे मार्गदर्शन और सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन का निर्माण कर सके और अपना जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्वक व्यतीत करे और साथ ही साथ उसका इस प्रकार सर्वांगीण विकास हो कि उसके भौतिक एवं आर्थिक जीवन और आध्यात्मिक एवं नैतिक पहलुओं के बीच आपसी टकराव न हो और न ही संतुलन बिगड़े।

विचार करने से पता चलता है कि मानव जीवन से संबंधित मूल प्रश्न ये हो सकते हैं कि उसे पैदा करने वाला और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? मानव और 'उसके' बीच का संबंध किस प्रकार का है? जीवनदाता के निकट मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ? संसार के रचयिता एवं निर्माता की इच्छा क्या है? इस जीवन का अंत मृत्यु है, या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, अगर है तो 'दूसरा' जीवन कैसे सफल हो सकता है ?

ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर मानव इतिहास के बुद्धिजीवी और शुभचिंतक समय-समय पर देने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने ख़ुदा और Ultimate Reality (यथार्थ) का भी पता लगाने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। क्योंकि, प्रथमतः उनके ये विचार अपनी-अपनी कल्पनाओं पर आधारित थे, जिससे उनके विचारों में समन्वय नहीं था, दूसरी बात यह कि मानव का ज्ञान एवं विचार संकुचित और सीमित होता है। फिर भी, अगर उनके इन काल्पनिक

विचारों से विकास संभव भी हुआ, तो इस विकास का लाभ एक विशेष वर्ग को जाएगा, जिसमें नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का सतत् अभाव होगा और विकसित वर्गों का वर्चस्व रहेगा। ऐसे समाज में मानव को सुख-चैन कहां से मिल पाएगा ?

प्रसिद्ध इतिहासकार टाइन बी. के शब्दों में–

Most of the world civilizations were destroyed on the rock of material progress. (by Toyn Be)

जब से मानव जाति का इतिहास रहा है इन प्रश्नों का उत्तर समय-समय पर ईश्वर अपने संदेष्टाओं और 'आदेशों' द्वारा देता रहा है। अंततः 'उसने' अपना अंतिम आदेश अपने अंतिम संदेष्टा द्वारा भेजकर इस प्रकार की सभी संभावना को समाप्त कर दिया और वह आदेश 'धर्म' है। जो व्यक्ति ईश्वर के इस निर्दिष्ट धर्म का अनुपालन करेगा, वही दोनों लोकों में सफल होगा।

यह बात समझ में नहीं आती कि अपनी सृष्टियों में से उसने पक्षियों को उड़ना और मछलियों को तैरना सिखाया है, लेकिन इन्सान के मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं किया। क्या मानव के साथ ख़ुदा की दुश्मनी है कि उसे मार्गदर्शन की खोज में भटकता छोड़ दे ?

ईश्वर मानव को अपनी अनुपम सृष्टि कहता है। वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह इतना महान, सर्वज्ञ और न्यायप्रिय है कि मानव के प्रत्यक्ष और परोक्ष की सारी आवश्यकताओं को जानता है और उसकी पूर्ति भी करता है। उसने हमारे लिए सारी चीज़ों को पैदा किया। उसकी नेमतों में केवल वे ही चीज़ें शामिल नहीं हैं, जो हमें आंखों से नज़र आती हैं, बल्कि अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो दिन-रात हमारी सेवा में लगी रहती हैं, परन्तु वे हमें नज़र नहीं आतीं।

एक इंजीनियर या किसी चीज़ का बनाने वाला अपने उत्पादक का Manual भी पेश करता है। उत्पादन में अगर कोई ख़राबी होगी तो उसे उसी Manual के ज़रीए से पता करके दूर किया जा सकता है। इसी तरह ईश्वर ने अपनी सारी सृष्टि के लिए क़ानून और जीने का तरीक़ा प्रदान किया है।

ईश्वर ने इन्सान की सभी आवश्यकताओं को बहुत अच्छे रूप से पूरा किया है। अर्थात उसने इन्सानों में से सबसे विशिष्ट व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके संदेष्टा या संदेशवाहक बनाया। उन पर वह्य के द्वारा अपना संदेश और मार्गदर्शन भेजता रहा है। संदेशवाहक या संदेष्टा (Prophets, Messengers) बहुत ही नेक, सच्चे, निःस्वार्थ और बेहतरीन इन्सान होते थे। वे केवल रहनुमाई और मार्गदर्शन पेश करने वाले नहीं होते थे, बल्कि सबसे पहले उन पर अमल करने वाले होते थे। ज़मीन पर ख़ुदा का प्रतिनिधित्व करते थे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे स्पष्ट रूप से बताते थे कि उनको वह्य (Divine Revealation) के द्वारा यह सब ज्ञान अल्लाह की ओर से प्राप्त हो रहा है। वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की ओर से कहते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होता था। वह अल्लाह का संदेश, मार्गदर्शन, आदेश और निर्देश किसी वर्ग और जाति के लिए नहीं लाते थे, बल्कि उनके सामने समस्त मानव जाति होती थी। संदेशवाहकों ने कभी मानव को जन्म, भाषा, वंश और प्रांत के आधार पर बांटा नहीं। उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए और उनके बताए गए मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना, वास्तव में ईश्वर को मानना और उसके आदेश व निर्देश का पालन करना

"इन प्रश्नों का उत्तर मानव इतिहास के बुद्धिजीवी और शुभचिंतक समय-समय पर देने का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने खुदा और Ultimate Reality (यथार्थ) का भी पता लगाने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। क्योंकि, प्रथमतः उनके ये विचार अपनी-अपनी कल्पनाओं पर आधारित थे, जिससे उनके विचारों में समन्वय नहीं था, दूसरी बात यह कि मानव का ज्ञान एवं विचार संकुचित और सीमित होता है।"

है और संदेशवाहक को नकारना तथा उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार करना केवल संदेशवाहक का इन्कार नहीं, बल्कि अल्लाह का इन्कार है। इतिहास में एक लाख से अधिक संदेशवाहक संसार के अन्य भागों में अलग-अलग समय और काल में आते रहे, केवल कुछ के नाम क़ुरआन और बाइबल में आये हैं। आदम (अलैहि), नूह (अलैहि), इबराहीम (अलैहि०), इस्माईल (अलैहि०), इसहाक़ (अलैहि०), याक़ूब (अलैहि०), यूसुफ़ (अलैहि०), मूसा (अलैहि), ईसा (अलैहि०) और अन्तिम समय में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) आये।

जीवन के जिन मूल प्रश्नों की चर्चा ऊपर की गयी है, उसके उत्तर में संदेशवाहकों ने केवल एक ही बात कही। उनके उत्तरों में कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि संदेशवाहकों ने कोई बात अपनी तरफ़ से नहीं कही, बल्कि

मानव जाति को एक ऐसे मार्गदर्शन और सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन का निर्माण कर सके और अपना जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्वक व्यतीत करे और साथ ही साथ उसका इस प्रकार सर्वांगीण विकास हो कि उसके भौतिक एवं आर्थिक जीवन और आध्यात्मिक एवं नैतिक पहलुओं के बीच आपसी टकराव न हो और न ही संतुलन बिगड़े।

उन्होंने जो बातें कहीं वे ईश्वर की ओर से कहीं। अंत में मुहम्मद (सल्ल.) ने भी बताया कि वे उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो ज्ञान दे रहे हैं, वह कोई नयी बात नहीं है, कोई नया संदेश नहीं है, बल्कि पिछले संदेशवाहकों ने जो कुछ बताया था हम वही बात पेश कर रहे हैं–

1. इस सृष्टि, मानव और ब्रह्माण्ड सबको पैदा करने वाला ईश्वर है। वही सबका मालिक है। ईश्वर का इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2. इन्सान अनुपम सृष्टि है। उसका जीवन एक परीक्षा है । मानव ईश्वर के आगे उत्तरदायी है। उसके जीवन को सफलता, विकास और मुक्ति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ईश्वर ने उनका मार्गदर्शन अपने संदेष्टाओं के द्वारा पहले ही दिन से करना प्रारंभ कर दिया है।

3. संदेष्टाओं के संदेश और

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

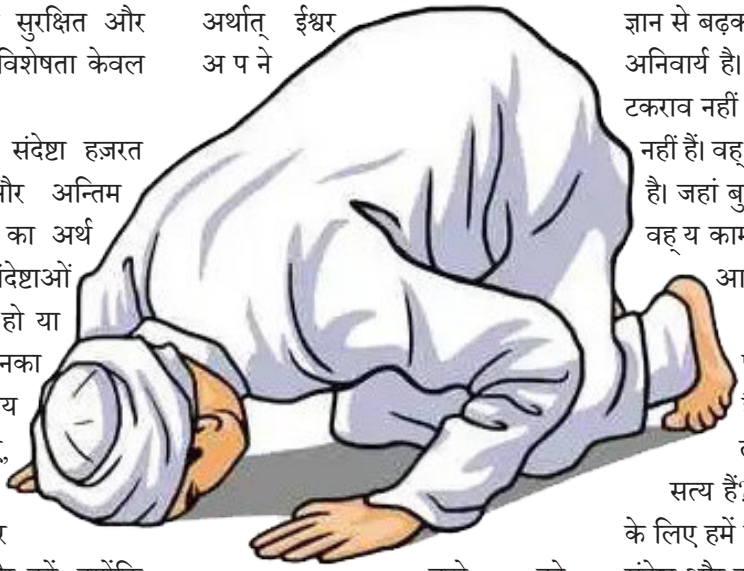
उनकी शिक्षाओं को मानकर जिन्होंने पारलौकिक जीवन में पेश आने वाले कर्म की पूछताछ पर विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत किया, वे ही लोग इस लोक और परलोक दोनों में सफल होंगे और स्वर्ग का आनंद भोगेंगे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे लोग असफल होकर नरक की यातना भोगेंगे। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अंतिम संदेष्टा हैं और क़ुरआन अंतिम ईशग्रंथ । यह दोनों अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पवित्र जीवनी, आपकी कही हुई बातें (हदीस) और क़ुरआन सुरक्षित हैं। इसी तरह इस्लाम सुरक्षित और प्रमाणिक धर्म है। यह विशेषता केवल इस्लाम को ही प्राप्त है।

ईश्वर के अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) और अन्तिम ईशग्रंथ क़ुरआन होने का अर्थ यह है कि हम सारे संदेष्टाओं को (उनका नाम ज्ञात हो या न हो) मानें और उनका आदर करें। सारे ईश्वरीय ग्रंथों को मानें। आइए, अब ईशदूत मुहम्मद (सल्ल.) के संदेश और उनकी शिक्षाओं पर ग़ौर करें, क्योंकि जिस काल व जिस समय के लिए पिछले संदेष्टाओं और ग्रंथों को भेजा गया था, अब वे परिस्थितियां नहीं रहीं। पिछले संदेष्टाओं का जीवन और उन पर अवतरित ईशग्रंथ सुरक्षित नहीं रहे। वे एक विशेष काल और समुदाय के लिए थे।

दूसरी बात यह है कि पिछले संदेष्टाओं और ईशग्रंथों की शिक्षाओं को क़ुरआन ने अपने अन्दर समाहित कर लिया है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को अन्तिम संदेष्टा और क़ुरआन को अन्तिम ईशग्रंथ मानने का अर्थ यह है कि हम सारे संदेष्टाओं को मानते हैं। अगर अस्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम किसी भी ईशग्रंथ और संदेष्टा को नहीं मानते, यहां तक कि हम ईश्वर को भी नहीं मानते।

प्रश्न यह उठता है कि संदेष्टाओं और अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को अल्लाह की ओर से संदेश और शिक्षाओं के पहुंचने का माध्यम क्या था ? यह माध्यम वह्य (Divine Revealation) कहलाती है।

कहा जा सकता है कि वह्य God's own way of communication है । अर्थात् ईश्वर अपने बन्दे को संदेश भेजता है, संदेश लाने वाले फ़रिश्ते जिबरील (अलैहि.) थे। उपर्युक्त सच्चाइयों के बारे में हमें जानकारी ईश्वर से ही मिल सकती है। क्योंकि ईश्वर ने मानव और उसके मस्तिष्क को बनाया है और वह उसके मनोविज्ञान (Psychology) को अच्छी तरह जानता है। मानव जीवन के लिए सही या ग़लत, वैध या अवैध और लाभदायक और हानिकारक क्या है ? इस प्रकार की सभी सच्चाइयों को ईश्वर ही बता सकता है।



हमारे पास बुद्धि है, परन्तु उसकी कुछ सीमाएं हैं, इससे ज़्यादा वह बढ़ नहीं सकती। उदाहरण के रूप में देखें, ब्याज, जुआ और लॉटरी। बुद्धि तो कहती है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इससे लाभ उठाना चाहिए। परन्तु यह ईश्वर की वह्य है कि जो बताती है कि यह हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। यह केवल एक उदाहरण है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं, जिन पर चिंतन-मनन करने पर विश्वास हो जाता है कि जीवन की कुछ ऐसी ही सच्चाइयां हैं, जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही नहीं बल्कि इसके लिए बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर वह्य से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य है। वह्य और बुद्धि में कोई टकराव नहीं है। दोनों एक-दूसरे के वैरी नहीं हैं। वह्य बुद्धि की सहायता करती है। जहां बुद्धि काम नहीं करती, वहां वह्य काम आती है। वह्य बुद्धि को आगे बढ़ाती है।

हमने किसी संदेष्टा पर वह्य आते देखी नहीं है। हम किस तरह मान लें कि वह्य और संदेष्टा सत्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें संदेष्टाओं के जीवन, उनके संदेश और उनकी दी गई शिक्षाओं का अध्ययन करना होगा, उनकी बातों में जो सत्य है, जो मार्गदर्शन और रहनुमाई है उसको परखना होगा ।

अन्तिम संदेष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, परन्तु उनकी शिक्षाएं और मार्गदर्शन और उनका विशुद्ध जीवन सब मौजूद है। उन्होंने मानव समाज को जिस तरह बदला और वे जो सामाजिक परिवर्तन लाए, यह नमूना भी विश्व के सामने है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) इतिहास के पूरे प्रकाश में आये, इसलिए इनकी पूरी शिक्षा सुरक्षित है। ■■

जीवन में अनुशासन का महत्व



सौंदर्य बोध



जावेद इक़बाल

अनुशासन का अर्थ है– संगठित और दृढ़ आचार-व्यवहार और नीति। इसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है, "ऐसा संगठित और परिणामजनक आचार-व्यवहार, जिसको आधारशिला नैतिक मूल्यों पर हो।" अनुशासन के व्यक्तिगत और सामूहिक दो पहलू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निर्धारित सिद्धांतों पर अमल करें, तो निस्संदेह वह दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सफल होगा। इसी तरह अगर कोई संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निर्धारित नियम व सिद्धांतों पर अमल करे, जिसमें अपने कार्य-कर्ताओं की भलाई और उनके मान-सम्मान का लिहाज़ रखा जाता हो, तो ऐसी संस्था को एक संगठित संस्था कहा जा सकता है।

इसको एक परिवार के उदाहरण से सरलता के साथ समझा जा सकता है। एक घर जिसमें मां-बाप और बच्चे तथा अन्य क़रीबी रिश्तेदार रहते हैं। अगर उस घर का संरक्षक अपने सामर्थ्य के अनुसार घर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, बीवी-बच्चों से मुहब्बत और उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करता हो। घर के कामों की समय-सारणी निश्चित हो, घर में खाद्य वस्तुओं को रखने की जगह निर्धारित हो। घर के काम सबके राय-मश्विरे से किये जा सकते हों, ऐसे परिवार को हम एक संगठित परिवार कह सकते हैं।

इसी तरह कोई शिक्षण संस्थान मदरसा, स्कूल या कॉलेज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित रूप से कोशिश करे, जिसमें शिक्षक समय पर आएं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से करें, नैतिक मूल्यों को परवान चढ़ाने की कोशिश करें, हर चीज़ का एक नियम निर्धारित हो, पूरे वातावरण में प्रेम व मुहब्बत का प्रभाव हो, तो ऐसे शिक्षण संस्थान को हम एक सफल व संगठित शिक्षण संस्था कह सकते हैं।

इसके विपरीत जिस संस्था में नियम व सिद्धांत की पाबन्दी न की जाती हो, संस्था का उद्देश्य निर्धारित न हो, कामों का निरीक्षण न किया जाता हो, हालात के सुधार की कोशिश न की जाती हो, तो ऐसे संस्था को हम एक असफल और असंगठित संस्था कह सकते हैं। इस्लाम धर्म ने प्रारंभ से ही नियम-सिद्धांत व व्यवस्था को असाधारण महत्व दिया है। इबादतों, मामलों, आर्थिक क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों और राजनीतिक क्षेत्रों मतलब यह कि सारे क्षेत्रों में नियम-सिद्धांत व व्यवस्था की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखायी देती है।

नमाज़ को ही लीजिए, क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया है, "नमाज़ वास्तव में ऐसा फ़र्ज़ है जो समय की पाबन्दी के साथ ईमान वालों के लिए अनिवार्य किया गया है।" (4:103)। मर्दों को जमाअत से नमाज़ पढ़ने की ताकीद है, लेकिन औरतों के लिए घर पर नमाज़ अदा करने को बेहतर ठहराया गया है।

नमाज़ के लिए जब आदमी मस्जिद में जाए तो जमाअत में शामिल होने के लिए दौड़-भाग न करे, बल्कि मान-मर्यादा व संजीदगी का लिहाज़ रखे, सफ़ों को दुरुस्त रखे। जमाअत की नमाज़ में इमाम साहब की पैरवी करें, लेकिन इमाम साहब से अगर कोई भूल हो जाए, तो उसका सुधार कर दिया जाए। नमाज़ के इस अमल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मस्जिद के बाहर मुसलमानों का अमीर या प्रमुख कोई ग़लती करे, तो उसको ध्यान दिलाना ज़रूरी है। इससे नियम व व्यवस्था बेहतर होगी। समाज में मूल्यों की वृद्धि होगी और शांति व सलामती स्थापित होगी। इसी तरह रोज़ा, हज व ज़कात जैसी इबादतों के लिए भी कुछ नियम व शर्तें नियत हैं। अगर इनकी पाबन्दी न की जाए तो इबादत की अदाएगी संभव न हो सकेगी। ये सारे काम नियम व व्यवस्था के दायरे में आते हैं।

अनुशासन के तत्वों में समय की पाबन्दी, वचनबद्धता, कामों को एक नियम के अनुसार करना व कराना, फ़ैसलों पर अमल करना भी शामिल है। इसी तरह कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए राय-मशविरे करने का एहतिमाम भी ज़रूरी है। क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

"वे अपने रब का आदेश मानते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, अपने मामले आपस के परामर्श से चलाते हैं।"

(क़ुरआन, 42:38)

इस्लाम ने आर्थिक मामलों और लेन-देन में जो हिदायतें दी हैं, उनका अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं है और अगर ज्ञान है भी तो उस पर कार्यान्वित नहीं किया जाता, जिसके कारण संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है, बल्कि दिल फट जाते हैं, मुहब्बत ख़त्म हो जाती है और नौबत लड़ाई-झगड़े तक पहुंच जाती है। इसके विपरीत अगर इस्लाम के सिद्धांतों की पाबन्दी की जाए, तो एक शांतिमय व सभ्य समाज अस्तित्व में आता है। लेन-देन के सिलसिले में अल्लाह तआला क़ुरआन में फ़रमाता है–

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी निर्धारित समय के लिए तुम आपस में क़र्ज़ का लेन-देन करो, तो उसे लिख लिया करो। दोनों पक्षों के बीच इन्साफ़ के साथ एक आदमी दस्तावेज़ लिखे, जिसे अल्लाह ने लिखने-पढ़ने की क़ाबिलियत दी हो, उसे लिखने से इन्कार नहीं करना चाहिए। वह लिखे और बोलकर वह आदमी लिखाए जिस पर हक़ आता है (अर्थात क़र्ज़ लेने वाला) और उसे अल्लाह से डरना चाहिए कि जो मामला तय पाया हो, उसमें कोई कमी-बेशी न करे। लेकिन अगर क़र्ज़ लेने वाला ख़ुद नादान या कमज़ोर हो, या बोलकर लिख न सकता हो, तो उसका सरपरस्त इन्साफ़ के साथ बोलकर लिखाए। फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की इस पर गवाही करा लो। और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए, जिनकी गवाही तुम्हारे बीच स्वीकार की जाती हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए, तो उन्हें इन्कार न करना चाहिए। मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, अवधि के निर्धारण के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवा लेने में सुस्ती न करो। अल्लाह के नज़दीक यह तरीक़ा तुम्हारे लिए ज़्यादा न्यायसंगत है, इससे गवाही क़ायम होने में ज़्यादा आसानी होती है, और संदेहों में तुम्हारे पड़ने की संभावना कम रह जाती है, हां जो व्यापारिक लेन-देन हाथ के हाथ तुम लोग आपस में करते हो, उसको न लिखा जाए तो कोई हरज़ नहीं, मगर व्यापारिक मामले तय करते समय गवाह कर लिया करो। लिखने वाले और गवाह को सताया न जाए। ऐसा करोगे, तो गुनाह का काम करोगे। अल्लाह के ग़ज़ब से बचो। वह तुम्हें सही कार्य नीति की तालीम देता है और उसे हर चीज़ का ज्ञान है।"

(क़ुरआन, 2:282)

अनुशासन की व्याख्या इस तरह की जा सकती है, "ऐसा संगठित और परिणामजनक आचार-व्यवहार, जिसको आधारशिला नैतिक मूल्यों पर हो।" अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ निर्धारित सिद्धांतों पर अमल करें, तो निस्संदेह वह दूसरे लोगों की तुलना में अधिक सफल होगा।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पवित्र जीवन चरित्र से अनुशासन की कुछ मिसालें यहां प्रस्तुत की जा रही है। अनुशासन के लिए समय की पाबन्दी एक ज़रूरी शर्त है। आप (सल्ल०) अपने दैनिक कामों के सख़्त पाबन्द थे, अतः आपने अपने हर काम का समय निर्धारित कर लिया था।

जब अल्लाह तआला की ओर से हिजरत करने का आदेश मिल गया, तो आप दोपहर के समय अपने प्रिय साथी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के घर तशरीफ़ ले गये। घर वालों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने आपस में कहा कि यह समय आप (सल्ल०) के आने का

नहीं है। अवश्य ही कोई असाधारण बात होगी, क्योंकि आपका नित्य नियम हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के घर जाने का सुबह या शाम का था।

इसी तरह आप (सल्ल०) अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के यहां अस्र की नमाज़ के बाद जाते थे। हिजरत के अवसर पर जो योजना आपने बनायी वह भी अनुशासन की बेहतर दलील है। हर धर्म-युद्ध में भी अनुशासन का प्रभाव हमें स्पष्ट नज़र आता है। इस्लाम सामूहिक जीवन व्यतीत करने को ज़रूरी ठहराता है। अतः आप (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया–

"तीन आदमी कहीं सफ़र कर रहे हों, तो उन्हें अपने में से किसी एक को अपना अमीर बना लेना चाहिए।"

(अबू दाऊद)

एक दूसरी जगह आप (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–"एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की भांति है, जिसका एक भाग दूसरे भाग के लिए मज़बूती और शक्ति प्रदान करने का कारण होता है।" यह वाक्य कहकर आप (सल्ल०) ने अपनी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर लोगों को समझाया। (बुख़ारी)

हज़रत उमर (रज़ि.) इस्लामी शासक बनने के बाद जो तक़रीर आपने की उससे आपके बेहतरीन प्रबंधक होने का पता चलता है। आपने कहा, "जो व्यक्ति अपने आपको शक्तिशाली समझता है, वह मेरे निकट कमज़ोर है, जब तक कि मैं उससे कमज़ोरों का अधिकार प्राप्त न कर लूं और कमज़ोर मेरे निकट शक्तिशाली है, जब तक कि मैं उसका अधिकार उसे न दिला दूं।"

एक औरत ने एक बार इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि.) को रास्ते में रोका और कहा कि ऐ उमर ! आज तुम अमीरुल मोमिनीन कहलाते हो, मैंने वह ज़माना भी देखा है, जब तुम ऊंट चराते थे और लोग तुम्हें उमेर कहते थे। एक व्यक्ति ने उस औरत से कहा ! क्या तुम अमीरुल मोमिनीन का आदर नहीं कर सकतीं। तुम्हारी बातचीत शिष्टाचार के विरुद्ध मालूम होती है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस व्यक्ति की बात सुनकर कहा, "यह औरत ठीक कहती है।" इस तरह एक व्यक्ति ने कई बार कहा, "ऐ उमर! अल्लाह से डरो" दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को रोकना चाहा, मगर



हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, "इसे कहने दो। उसका हक़ है कि वह कहे और हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम उसकी बात सुनें।" आपने यह भी कहा कि अल्लाह उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करे, जो मेरी कमियों को मुझे बताए।

हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने शासनकाल में बड़े-बड़े गवर्नरों और अधिकारियों का तबादला किया, उनके ख़िलाफ़ सैद्धांतिक कार्रवाई की और कभी-कभी पदों से पदच्युत भी किया। मौलाना शिबली नोमानी ने अपनी प्रसिद्ध किताब "अल-फ़ारूक़" में लिखा है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को मालूम हुआ कि उनके बेटे अबू-शहमा ने शराब पी है। उन्होंने अपने सामने उसको 80 कोड़े लगवाए जिसके नतीजे में कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। इसी तरह आपने अपने एक सगे-संबंधी को ऐसी ही सज़ा दी। जब कोई शासक अपने क़रीबी रिश्तेदारों के साथ यह अमल करे, तो उसके नियम व प्रबंध पर कौन उंगली उठा सकता है। इस तरह के राज्य में भ्रष्टाचार स्वयं अपनी मौत आप मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई गवर्नर ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता, तो हज़रत उमर (रज़ि.) या तो उसका तबादला कर देते या पदच्युत कर देते, लेकिन यह घोषणा भी करा देते कि इस व्यक्ति के विरुद्ध यह क़दम कुछ मस्लिहत के तहत उठाया जा रहा है, न कि किसी ख़ियानत के बिना पर।

आज के शासकों और किसी संस्था के प्रमुखों के लिए हज़रत उमर (रज़ि.) की ज़िन्दगी प्रेरणादायक है। वे अनुशासन पर चलने वाले और बेहतरीन अनुशासन क़ायम करने वाले शासक थे।

■■



ग़ज़्ज़ा और यूक्रेन :

आज जब हम पश्चिम एशिया के एक कोने ग़ज़्ज़ा और पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन में जर्जर होते जीवन और चीत्कार करते चेहरों को देखते हैं, तो यह प्रश्न सिर उठाता है कि क्या मानवता के साझा विवेक और नैतिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति कहीं खो गई है? एक ऐसा मूल्य जिसे लेकर दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक स्वर में कहा था—''कभी फिर नहीं''

ग़ज़्ज़ा, जिसे कुछ लोग 'खुली जेल' कहते हैं, और कुछ 'जन्म से सज़ा पाए हुए लोगों की भूमि'–आज मानवाधिकारों के इतिहास में सबसे गहरे घावों में से एक है। इज़राइल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाइयां, नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाना, भोजन, जल और चिकित्सा जैसी जीवन-आवश्यक वस्तुओं की नाकेबंदी, ये सभी क्रियाएं

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि मानवीय चेतना के ख़िलाफ़ भी विद्रोह है।

इसी के समानांतर, यूक्रेन की त्रासदी भी हमारी आंखों के सामने है। रूस द्वारा शुरू किया गया आक्रमण न केवल यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला था, बल्कि वहां के लाखों नागरिकों के जीवन, उनके घरों, स्कूलों, अस्पतालों और स्वप्नों पर भी। बमों की गूंज वहां भी गूंजी हैं, मौतें वहां भी हुई हैं, विस्थापन वहां भी झेला गया है।

यहां यह दोहराना आवश्यक है कि यूक्रेन और ग़ज़्ज़ा दो अलग-अलग संदर्भ हैं—राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से, लेकिन दोनों स्थानों पर जो समान है वह है पीड़ा, विस्थापन, और निर्दोष जीवनों का संकट। और इस संकट के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा करती है।

संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका भी अब प्रतीकात्मक लगने



कहां है 'वैश्विक विवेक'?

लगी है। जब यूएन महासचिव गुटेरेस ने यह कहने का साहस किया कि "हमास का हमला शून्य से नहीं हुआ," तो उनके वक्तव्य को सच्चाई के बजाय पक्षपात मान लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आज की विश्व राजनीति तथ्यों से नहीं, सुविधाजनक आख्यानों से संचालित होती है।

सिद्धांततः यह सार्वभौमिक स्वीकार्यता है कि मानवाधिकारों का हनन किसी भी राष्ट्र अथवा सत्ता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह भावना संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों और विश्व की महाशक्तियों की घोषणाओं में प्रतिध्वनित होती रही है। परंतु हाल की घटनाओं ने इस सोच को केवल एक आदर्श वाक्य बनाकर रख दिया है।

यूक्रेन और ग़ज़्ज़ा दो अलग-अलग संदर्भ हैं– राजनीतिक, ऐतिहासिक और भूगोलिक रूप से, लेकिन दोनों स्थानों पर जो समान है वह है पीड़ा, विस्थापन, और निर्दोष जीवनों का संकट। और इस संकट के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा करती है।

वास्तविक धरातल पर इन सिद्धांतों की निरंतर अवहेलना हो रही है, विशेषतः पश्चिम एशिया के युद्धग्रस्त भूभाग "ग़ज़्ज़ा" में।

इज़राइली हमलों में नष्ट हुए अस्पतालों, विद्यालयों और शरण स्थलों की तस्वीरें देखकर लगता है कि 21वीं सदी ने मानवीय मूल्यों से पूर्णतः किनारा कर लिया है। इतिहास गवाह है कि युद्धों के भी कुछ नैतिक नियम रहे हैं—"निरपराधों की रक्षा, अस्पतालों, धार्मिक व शैक्षिक स्थलों की सुरक्षा", परंतु ग़ज़्ज़ा में हर मर्यादा को कुचलने की छूट मानो दे दी गई है।

दुखद यह है कि जिन देशों ने मानवाधिकारों को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय तत्व घोषित किया है, वे भी



अब इन मूल्यों को रणनीतिक समीकरणों के तराज़ू में तौलने लगे हैं।

जब ग़ज़्ज़ा में नागरिक मारे जा रहे हैं, जब मानवाधिकारों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, तब वही स्वर मौन क्यों हैं जो इज़राइल के लिए इतने मुखर थे? यदि मानवीय मूल्य सार्वभौमिक हैं, तो क्या उनकी रक्षा भी सार्वभौमिक नहीं होनी चाहिए?

क्या एक फ़िलिस्तीनी मां का विलाप किसी इज़राइली मां की पीड़ा से कम मानवीय है? क्या उनकी संतानों का जीवन मूल्य वैश्विक राजनीति की कसौटी पर कमतर है? यही प्रश्न आज हर संवेदनशील मनुष्य के भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। फ़िलिस्तीनी पीड़ा की जड़ें इज़राइली विस्तारवाद और जबरन भूमि क़ब्ज़े में हैं, जो 1948 से सतत जारी है। यह सिर्फ़ एक विवाद नहीं, एक राष्ट्र की पहचान, अस्मिता और अस्तित्व के अधिकार का संघर्ष है।

इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या आज की वैश्विक सभ्यता केवल स्वार्थ और शक्ति की राजनीति पर ही आधारित रह गई है? क्या अब भी कोई ऐसी नैतिक चेतना बची है जो अन्याय को अन्याय कह सके?

यह समय है, जब हमें वैश्विक राजनीति के गणित से ऊपर उठकर वैश्विक नैतिकता की बात करनी होगी। हमें तय करना होगा कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जहां न्याय केवल ताक़तवरों के लिए हो और सहानुभूति केवल रणनीतिक लाभ के अधीन?

भारत की भूमिका इस समूचे परिदृश्य में संतुलनकारी रही है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया है। गांधी, नेहरू से लेकर वाजपेयी तक की विदेश नीति में फ़िलिस्तीन के प्रति संवेदनशीलता दिखी है। परंतु आज की बदलती कूटनीतिक परिस्थितियों में भारत एक सामरिक दृष्टिकोण से इज़राइल के साथ संबंध मज़बूत कर रहा है। यह एक रणनीति आधारित नीति हो सकती है, लेकिन भारत जैसे सभ्यता-संस्कार आधारित देश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने नैतिक पक्ष को न खो दे। भारत को चाहिए कि वह पीड़ा के प्रति संवेदनशील बना रहे, और जहां ज़ुल्म हो, वहां उसके विरुद्ध खड़ा

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

हो, चाहे वह कहीं भी हो।

आज ग़ज़्ज़ा और यूक्रेन दोनों की धरती पर ख़ून बहा है, लेकिन वहां की ज़मीन पर जो कुछ शेष है, वह है मानव साहस, जीवटता और आत्म-बल। ग़ज़्ज़ा की एक मां जब जलते घरों के बीच अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती है, या यूक्रेन का एक पिता बमबारी के बीच परिवार को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद करता है, तो वे केवल पीड़ित नहीं रहते, वे मानवता के प्रतीक बन जाते हैं।

यह समय है, जब हमें वैश्विक राजनीति के गणित से ऊपर उठकर वैश्विक नैतिकता की बात करनी होगी। हमें तय करना होगा कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जहां न्याय केवल ताक़तवरों के लिए हो और सहानुभूति केवल रणनीतिक लाभ के अधीन?

इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं होता, वह यह भी याद रखता है कि पीड़ितों की पुकार किसने सुनी और किसने अनसुनी की। आज ग़ज़्ज़ा और यूक्रेन दोनों हमें यह याद दिला रहे हैं कि, पीड़ा का कोई धर्म, जाति या भूगोल नहीं होता। पीड़ित सिर्फ़ इंसान होता है और इंसानियत किसी भी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं होता, वह यह भी याद रखता है कि पीड़ितों की पुकार किसने सुनी और किसने अनसुनी की। आज ग़ज़्ज़ा और यूक्रेन दोनों हमें यह याद दिला रहे हैं कि, पीड़ा का कोई धर्म, जाति या भूगोल नहीं होता। पीड़ित सिर्फ इंसान होता है और इंसानियत किसी भी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

आज यदि दुनिया ग़ज़्ज़ा के पीड़ितों के लिए खड़ी नहीं होती, तो यह एक घोर नैतिक अपराध होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें—मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा हो और अन्याय, हिंसा व विस्तारवाद के विरुद्ध एक सजग, सक्रिय और नैतिक वैश्विक चेतना जागृत हो। यही सच्ची मानवता है, और यही सभ्यता की कसौटी भी। न्याय और मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और जो कोई भी उसे रौंदने चले, वह रोका जाए। ■■





"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता
है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस: मुस्लिम)

A Well Wisher

J.I.H.
Mangrol, Baran (Raj.)

न्याय का प्रश्न और मध्य-पूर्व का सच



क्या यह सभ्यताओं की सबसे बड़ी विडंबना नहीं कि जिस धरती पर सबसे प्राचीन धार्मिक सभ्यताओं ने जन्म लिया, वही धरती आज सबसे अमानवीय त्रासदी की गवाह बनी हुई है? फ़िलिस्तीन आज केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की जीवित कथा है। ग़ज़्ज़ा के खंडहरों से उठती हुई चीख़ें न केवल बर्बरता की गवाही हैं, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खोखलेपन का प्रमाण भी हैं जो स्वयं को 'न्यायसंगत और मानवीय' बताती है।

आज जब दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और समानता की दुहाई दी जाती है, तब यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या फ़िलिस्तीनियों का जीवन इन मानकों से बाहर है? क्या उनका संघर्ष केवल इसलिए अवैध है क्योंकि वे उस ताक़त से टकरा रहे हैं जिसे पश्चिमी दुनिया की खुली और छिपी दोनों स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं?

ज़ायोनिज़्म : एक वैचारिक अन्याय

मध्य-पूर्व की यह त्रासदी महज़ इसराइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उस वैचारिक अन्याय का परिणाम है जो ज़ायोनिज़्म के रूप में उभरकर सामने आया। ज़ायोनिज़्म केवल

दृष्टिकोण



संपादन प्रभाग

यहूदियों के लिए एक राष्ट्र की माँग नहीं था, यह उस राष्ट्र को पाने के लिए एक ज़मीन से वहाँ के मूल निवासियों को उखाड़ फेंकने की योजनाबद्ध परियोजना थी। थियोडोर हर्ज़ल ने जब यहूदियों के लिए एक राष्ट्र का सपना देखा, तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उस ज़मीन पर सदियों से एक और क़ौम रहती है—फ़िलिस्तीनी।

इस ज़मीन पर जब यहूदियों का "राष्ट्रीय घर" बसाया गया, तो इसके लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक ताक़तों ने बालफोर घोषणापत्र के ज़रिए रास्ता तैयार किया। फ़िलिस्तीनियों से यह ज़मीन उनकी मर्ज़ी के बग़ैर छीन ली गई, और आज भी यह प्रक्रिया—बस्ती निर्माण, ज़मीन हथियाने, और सेना के बल पर विस्थापन—बिना रुके जारी है।

ग़ज़्ज़ा : एक खुली जेल

ग़ज़्ज़ा पट्टी को आज पूरी दुनिया एक खुली जेल मानती है। लगभग 23 लाख लोग 365 वर्ग किलोमीटर में बंद हैं—ना उन्हें स्वतंत्र रूप से आने-जाने की आज़ादी है, ना हवा और समंदर पर हक़। इज़राइली घेराबंदी और मिस्र की सीमाओं की बंदिशों ने ग़ज़्ज़ा को एक मानवता-विहीन प्रयोगशाला में बदल दिया है, जहाँ हर दो साल पर एक नया सैन्य प्रयोग होता है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, चर्च और रिहायशी इमारतें ध्वस्त कर दी जाती हैं।

वर्ष 2023 के अक्टूबर में शुरू हुए हमलों ने ग़ज़्ज़ा की धरती को लहूलुहान कर दिया है। हज़ारों फ़िलिस्तीनी मारे गए, लाखों बेघर हुए, लेकिन फिर भी पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव हमास के 'अचानक हमले' पर ही केंद्रित है। जैसे इतिहास 7 अक्टूबर से शुरू हुआ हो, और उससे पहले कुछ भी न हुआ हो।

'अचानक हमला' या लम्बे अपमान की प्रतिक्रिया?

जब इस्राइली सुरक्षा व्यवस्था को चीरते हुए हमास के लड़ाके सीमा पार करते हैं, तो इसे "आतंकी हमला" कहा जाता है। लेकिन जब इस्राइली सेना महीनों-बरसों तक वेस्ट बैंक में छापेमारी



करती है, फ़िलिस्तीनी युवाओं को बिना मुक़दमे जेल में डालती है, बच्चों तक को गोलियों से मारती है, तो इसे 'सुरक्षा कार्रवाई' का नाम दे दिया जाता है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की दृष्टिहीनता नहीं है? हमास के 'अल-अक़्सा तूफ़ान' जैसे अभियानों को बिना संदर्भ के पढ़ा जाता है। यह नहीं बताया जाता कि ग़ज़्ज़ा में बीते वर्षों में क्या-क्या हुआ—कैसे वहाँ की सीमाएं बंद कर दी गईं, बिजली-पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों पर रोक लगी, और चिकित्सा प्रणाली को ठप कर दिया गया। यह सब ज़ायोनिस्ट राष्ट्रवाद की उस परछाईं में घटा जो इस पूरे भूभाग पर एक 'यहूदी राष्ट्र' बनाना चाहता है।

भारत और नैतिकता की आवाज़

भारत, जिसने कभी गांधी, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के मुख से फ़िलिस्तीन के समर्थन की स्पष्टता सुनी थी, वह अब 'अचानक हमले' से आहत होकर इज़राइल के साथ खड़ा दिखता है। क्या हम भूल गए कि गांधी ने कहा था—"फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है"? भारत के इस रुख़ से फ़िलिस्तीनी खुद को और भी अधिक अकेला महसूस कर रहे हैं।

यहूदी और ज़ायोनिस्ट : फ़र्क़ समझना ज़रूरी

यह धारणा भी ग़लत है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन का अर्थ यहूदी विरोध है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और जेरूसलम जैसे शहरों में यहूदी धर्मगुरु और सामान्य नागरिक ज़ायोनिस्ट बर्बरता के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर चुके हैं। उनके हाथों में तख़्तियाँ होती हैं—"Not in our name!" वे स्पष्ट कहते हैं कि यहूदियत और ज़ायोनिस्ट राष्ट्रवाद एक नहीं हैं। यह विरोध सिर्फ़ नस्लीय वर्चस्व और औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध है।

मोसाद बनाम अल-क़स्साम

जब अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाइयों का ज़िक्र आता है, तो क्यों नहीं हम 'मोसाद' के उन गुप्त अभियानों की भी बात करते हैं, जिनमें विदेशों में फ़िलिस्तीनी नेताओं की हत्या की गई? क्यों नहीं बात होती उन गुप्त जेलों की जहाँ राजनीतिक कैदियों को बिना ट्रायल के वर्षों तक रखा गया? यह सारा विमर्श एकपक्षीय क्यों है?

अंत में…

दुनिया को तय करना होगा कि वह किस ओर खड़ी है—न्याय के पक्ष में या ताक़त के? क्या आज की वैश्विक व्यवस्था केवल उसी के लिए न्याय मांगती है, जिसके पास हथियार हैं, या उसके लिए भी जो पीढ़ियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है?

फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई अब केवल एक भू-राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि सभ्यताओं की आत्मा के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई बन चुकी है। यह उन मूल्यों की परीक्षा है, जिन पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की नींव रखी गई थी। यह संघर्ष दुनिया के नैतिक विवेक का इम्तिहान है। ■■



मध्य-पूर्व की आग में झुलसती मानवता



अभिमत



एफ़ेनस हेंडरसन

जब मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा होता हूं और फ़िलिस्तीन से आ रही भयावह तस्वीरों को देखता हूं, तो मेरा दिल तड़प उठता है। यह तड़प केवल किसी राजनीतिक घटनाक्रम की प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक मनुष्य की उस संवेदना का प्रकटीकरण है, जो हर मासूम चेहरे पर पसरी बेबसी को देखकर उठती है। उन बच्चों की आंखों में, जो अब कभी नहीं खुलेंगी, और उन माताओं की गोद में, जो सदा के लिए सूनी हो गई हैं, एक ऐसा शोक है जो किसी भी भाषा, राष्ट्र या धर्म की सीमा में नहीं बंधता। यह सार्वभौमिक पीड़ा है–मानवता का मौन विलाप।

आज, जब ग़ाज़ा की गलियों में मौत गश्त लगा रही है, और इज़रायल के शहरों में डर की एक अदृश्य चादर फैल चुकी है, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है—यह युद्ध किसी एक समुदाय की जीत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की साझा हार है। इस त्रासदी में न तो एक आम फ़िलिस्तीनी का सपना जीवित बचा है और न ही एक आम इज़रायली की शांति की आकांक्षा। दोनों अपने-अपने बच्चों को गले लगाकर सुबह की शुरुआत करना चाहते थे, स्कूल भेजना चाहते थे, शाम को खाना साथ खाना चाहते थे, लेकिन अब उनका दिन धमाकों की गूंज और रात डरावने सायरनों की आवाज़ों से गुज़रता है।

यह संघर्ष आज की घटना नहीं है। यह पीड़ा और अविश्वास की परतें दशकों पुरानी हैं। 1948 का नक़बा, जब हज़ारों फ़िलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हुए; 1967 की जंग, जब पश्चिमी तट और ग़ाज़ा पर क़ब्ज़ा हुआ; और फिर समय-समय पर होने वाले सैन्य हमले, अवरोध और जवाबी कार्रवाइयां–इन सबने मिलकर उस घाव को इतना गहरा कर दिया है कि अब वह केवल एक ज़मीन की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि पहचान, अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।

सवाल यह है कि जब आमजन यह सब नहीं चाहते, तो यह आग कौन जलाए हुए है? किसे लाभ है इस निरंतर पीड़ा से? वे कौन हैं जो घाव भरने के बजाय उन्हें कुरेदते हैं? नफ़रत को हवा देने वाले ये तत्व केवल बाहरी नहीं हैं, वे हमारी सोच, हमारी राजनीतिक चुप्पियों और पूर्वाग्रहों में भी छिपे हुए हैं। जो पीड़ा को पहचानने से इन्कार करते हैं, जो पीड़ित की पहचान देखने से पहले उसकी राष्ट्रीयता पूछते हैं, वे ही इस हिंसा के मौन समर्थक बन जाते हैं।

इज़रायल में जब एक नागरिक हमास के रॉकेट हमले में मारा जाता है, तो वह भी उतनी ही मानवता की क्षति है जितनी ग़ाज़ा में किसी बच्चे की मौत, लेकिन दुनिया अक्सर इन्हें तुलनात्मक तराज़ू पर तौलने लगती है–एक की पीड़ा को 'ज़्यादा' और दूसरे की पीड़ा को 'कम' क़रार दे दिया जाता है। यही वह दृष्टिकोण है जो समस्या को और जटिल बनाता है। क्या हम पीड़ा की भी राजनीति करने लगे हैं?

एक DEI (विविधता, समानता और समावेश) विचारक और मानव संसाधन सलाहकार होने के नाते, मेरा विश्वास है कि बदलाव की शुरुआत 'सुनने' से होती है–गहराई से, बिना पूर्व धारणा के। जब हम एक-दूसरे के दुःख

को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम किसी के 'शत्रु' को भी एक मनुष्य के रूप में देखना शुरू करते हैं। और शायद यही पहला क़दम है–किसी को 'दूसरा' कहने से इन्कार करना, क्योंकि हर मां का आंसू एक-सा होता है, हर बच्चे की हंसी में वही मासूमियत होती है, और हर टूटा हुआ सपना दिल को चीर जाता है, चाहे वह किस भी देश की सरहद में क्यों न गिरा हो।



यह समय है उस साझा मानवता को पहचानने का, जो तमाम विभाजनों से परे है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पीड़ा एकतरफ़ा नहीं है, और न ही सहानुभूति सीमित होनी चाहिए। यदि हम केवल अपने पक्ष के आंसुओं को महत्व देंगे, तो हम उस करुणा को खो देंगे जो हमें मनुष्य बनाती है।

हम यह नहीं कह सकते कि इतिहास को भुला दिया जाए, लेकिन हम यह अवश्य तय कर सकते हैं कि इतिहास को आगे की पीढ़ियों के लिए घृणा का बीज न बनने दें। जिस भूमि पर अब तक केवल रक्त बहा है, वहां कभी ज़ैतून के पेड़ भी लहराते थे। वहां कहानियां, गीत और साझे त्योहार भी होते थे। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम फिर से एक साझा इतिहास और भविष्य की कल्पना कर सकें?

संवेदनशीलता और करुणा वे बीज हैं, जिन्हें बोकर हम आने वाली पीढ़ियों को नफ़रत की विरासत नहीं, बल्कि उम्मीद की फ़सल सौंप सकते हैं। हमें यह सिखाना होगा कि युद्ध केवल धरती पर ही नहीं, आत्मा पर भी गहरे घाव छोड़ता है। और इन घावों को भरने के लिए हमें नायकों की नहीं, बल्कि आमजनों की ज़रूरत है–जो संवाद करें, जो हाथ बढ़ाएं, जो चुपचाप किसी की तकलीफ़ को बांट लें।

आज दुनिया के कोनों-कोनों में बैठे लोग, जो इस संघर्ष से सीधे नहीं जुड़े हैं, वे भी इसके गवाह बन रहे हैं। कुछ ग़ुस्से में हैं, कुछ असहाय महसूस कर रहे हैं, और कुछ ख़ामोश, लेकिन यह ख़ामोशी ही सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि जब हम अन्याय को देखकर चुप रहते हैं, तब हम उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं–अनजाने ही सही।

यह लेख कोई निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक आह्वान है–सोचने का, महसूस करने का और बदलने का। एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के नाते मैं बस यही कह सकता हूं कि यह संघर्ष अब केवल भू-राजनीतिक मसला नहीं रहा, यह हमारी अंतरात्मा की परीक्षा बन चुका है। क्या हम केवल दर्शक बनकर इस त्रासदी को देखते रहेंगे? या हम उस मानवता की मशाल उठाएंगे जो युद्ध के अंधेरे को रोशन कर सकती है?

शांति का रास्ता शायद आज धुंधला दिखता हो, लेकिन करुणा की लौ से हम उसे साफ़ कर सकते हैं। आइए हम इस सामूहिक पीड़ा को बेकार न जाने दें। आइए हम इसमें से एक नई शुरुआत, एक साझा उम्मीद की नींव रखें। क्योंकि हम सब इंसान हैं–और यही पहचान सबसे पहली और सबसे बड़ी है। ■■

(effenus-henderson.medium.com से साभार लेखक हेंडरवर्क्स कंसल्टिंग के अध्यक्ष और सीईओ तथा इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन के सह-संस्थापक। संयोजक, आईएसओ वर्किंग ग्रुप, डीईआई हैं।)

बस,...अब और नहीं



समाधान

लुबना सबूब

पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध, अस्थिरता और मानवीय त्रासदी के गहरे संकट में फंस गया है। इसराईल-फ़िलिस्तीन संघर्ष, जो दशकों से इस क्षेत्र की स्थायी चिंता रहा है, अब एक और भयावह दौर से गुज़र रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराईल पर हुए हमले के बाद जो हिंसात्मक सिलसिला शुरू हुआ, वह अब तक थमा नहीं है। इसराईल की जवाबी कार्रवाई ने ग़ज़्ज़ा पट्टी को मलबे में बदल दिया है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें और आवासीय इमारतें बमबारी में तबाह हो गई हैं। हज़ारों फ़िलिस्तीनियों की जान गई है और लाखों विस्थापन के शिकार हो गए हैं।

यह कहना अब उचित नहीं कि यह केवल एक सीमित क्षेत्रीय संघर्ष है। यह पूरे विश्व की चेतना, उसकी नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की परीक्षा है। यह प्रश्न अब भी मौजूं है कि 1948 में जब इसराईल की स्थापना हुई, तब उसके पास जो सीमित भूभाग था, वह आज इतने विशाल क्षेत्र में कैसे तब्दील हो गया? किस आधार पर यहूदी बस्तियों का विस्तार अनवरत जारी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश अवैध मानते हैं? फ़िलिस्तीनियों को क्यों उनकी ही ज़मीन से बेदख़ल कर सीमित क्षेत्रों में क़ैद कर दिया गया? ग़ज़्ज़ा पट्टी में रह रहे 21 लाख फ़िलिस्तीनियों को उनके ही देश में शरणार्थियों की तरह क्यों जीना पड़ रहा है?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि खोजा जाए, तो स्पष्ट होता है कि वैश्विक राजनीति में नैतिकता की जगह अब रणनीतिक और व्यापारिक हितों ने ले ली है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश इसराईल को निरंतर समर्थन देते आए हैं, जबकि फ़िलिस्तीन के पक्ष को न्याय के मंच पर बार-बार अनसुना किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर बार-बार इसराईल की कार्रवाइयों को अनुचित बताया गया, पर इन प्रस्तावों का कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध और हिंसा के इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए? यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध न तो किसी समस्या का समाधान है और न ही भविष्य का मार्गदर्शक। युद्ध केवल विनाश लाता है—जीवन का, उम्मीदों का और सभ्यता का। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस संघर्ष का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा; अनाज, तेल, ऊर्जा, व्यापार—हर क्षेत्र पर इसका गहरा असर पड़ा है। यदि पश्चिम एशिया में युद्ध गहराया, तो इसका वैश्विक प्रभाव और भी विनाशकारी हो सकता है।

इतिहास गवाह है कि युद्ध अपने

पीछे केवल तबाही छोड़ता है—राजनीतिक अस्थिरता, मानवीय पीड़ा और आध्यात्मिक शून्यता। जो देश दूर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाते हैं, वे भी इसकी गूंज से बच नहीं पाते। इसलिए यह सोचना भ्रम है कि युद्ध केवल एक सीमित भूभाग या समुदाय की समस्या है।

दुनिया ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अविश्वसनीय तरक़्क़ी की है। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन



इस विकास की गति ने हमारी मानवीय संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया है। हमने हवा में उड़ना, समुद्र में तैरना सीख लिया, पर इंसानों की तरह मिलकर रहना नहीं सीखा।

एक-दूसरे के साथ भाईचारे से जीने की सरल कला हम अब तक नहीं सीख पाए हैं। आधुनिक मानव भौतिक रूप से जितना समृद्ध हुआ है, उतना ही नैतिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होता गया है। नैतिकता के पतन ने जीवन के मूल्यों को क्षीण कर दिया है—ईमानदारी, न्याय और ज़िम्मेदारी जैसे गुण अब केवल आदर्शों तक सीमित रह गए हैं। वहीं आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा ने मानव को आत्म-केंद्रित बना दिया है, जिससे भीतर का संतुलन, शांति और करुणा धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है।

यही कारण है कि आज यूक्रेन से लेकर ग़ज़्ज़ा तक, और अफ़्रीक़ा से एशिया तक, दुनिया विभिन्न प्रकार के संघर्षों और युद्धों से जूझ रही है। जहां हथियारों की होड़ ने विनाश को आम बना दिया है, वहीं मानवीय संवेदनाएं और नैतिक विवेक कहीं खो से गए हैं। यह समय हमें याद दिलाता है कि यदि हम आंतरिक मूल्यों की ओर नहीं लौटे, तो बाहरी विकास भी हमारी असुरक्षा को नहीं रोक पाएगा।

आज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमने जीवन के साधनों को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया है। हमने अपने भीतर के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भुला दिया है। बाहरी उपलब्धियों की चकाचौंध में हमने करुणा, सहिष्णुता और प्रेम को पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज मानवता तीन सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रही है—जातीय हिंसा, ग़रीबी और युद्ध। ये सभी समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनकी जड़ हमारी नैतिक क्षीणता में छिपी है।

इनसे निपटने का एकमात्र रास्ता प्रेम और अहिंसा है। अहिंसा सिर्फ़ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। महात्मा गांधी ने इसे अपने संघर्ष का मूल बनाया था और पूरे विश्व को दिखाया था कि सच्चाई और प्रेम से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जब तक हम प्रेम, संवाद और न्याय को नहीं अपनाते, तब तक कोई भी समाधान स्थायी नहीं हो सकता।

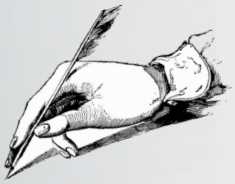
आज ग़ज़्ज़ा के बच्चे स्कूल की जगह मलबे में खेल रहे हैं। अस्पतालों में दवा नहीं, आंसू हैं। माताएं अपने बच्चों की लाशों को दफ़नाने के लिए जगह तलाश रही हैं। ऐसे में दुनिया की चुप्पी और महाशक्तियों की राजनीति केवल हिंसा को वैधता देती है।

मानवता के पास अब दो ही रास्ते हैं—या तो वह इसी हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़े और विनाश को अपनाए, या फिर वह प्रेम, सहअस्तित्व और नैतिक पुनर्जागरण की ओर लौटे। यदि हम सच में एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और मानवीय विश्व चाहते हैं, तो हमें प्रेम और अहिंसा को अपने जीवन और राजनीति का मूल बनाना होगा।

हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी संवेदना है, न कि हमारा शस्त्रागार। यह वही क्षण है जब मानवता को ख़ुद से सवाल करना चाहिए—क्या हम वाक़ई एक बेहतर विश्व की ओर बढ़ रहे हैं या अपने ही विनाश की पटकथा लिख रहे हैं?

यदि उत्तर 'बेहतर विश्व' है, तो स्पष्ट है कि इसका रास्ता युद्ध नहीं। ■■

(लेखिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधीवक्ता हैं।)



कविता

प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन

सुफ़ियान अहमद

जब अन्याय धीरे-धीरे पनपता है,
तो मन में एक हलचल जगती है।
यह न क्रोध है, न शोर कोई,
यह भीतर की चुप हलचल है।

असंतोष कोई दोष नहीं,
यह तो सजग आत्मा की पुकार है।
जो देखती है, जो सहती है,
पर सत्य से मुंह नहीं मोड़ती।

जब वक़्फ़ की ज़मीनों पर प्रश्न उठते हैं,
या नागरिकता की कसौटी बदली जाती है,
तो यह हलचल और तेज़ होती है—

जब हक़ से कम प्रतिफल मिलता है,
और श्रम की कोई क़द्र नहीं होती
तब यह हलचल और गहरी होती है—

प्रतिशोध यदि विचार बन जाए,
तो फिर भटकाव का डर रहता है।
पर जब असंतोष विचार बन जाए,
तो बदलाव का रास्ता खुलता है।

यदि हमें अन्याय मिटाना है,
तो प्रतिशोध की आग नहीं,
समाधान की रोशनी चाहिए।
शब्दों में शक्ति हो, कर्म में शांति,
और दृष्टि में एक नई राह चाहिए।

"लेखक पिछले दस वर्षों से 'कान्ति' में उपसंपादक के पद पर कार्यरत हैं।"

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।

सच जानना चाहते हैं लोग



ग्रोक हो, चैटजीपीटी हो या डीपसीक जैसा कोई एआई मॉडल ही क्यों न हो, इनके द्वारा बताई गई सूचनाएं लोगों को पसंद आ रही हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं। जिसे देखो, वही इससे सवाल कर रहा है और यह उसका तर्क के साथ जवाब भी दे रहा है। हालांकि, इसने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी, जो प्रबुद्ध लोगों को पहले से नहीं पता थी, लेकिन अब जन-साधारण भी इस जानकारी से रूबरू हो रहा है, तो इससे बेहतर क्या होगा ?

एआई को विकसित करने का मक़सद ज्ञान बढ़ाना और सही दिशा में मदद करना है, न कि झूठ को बढ़ावा देना या राजनीतिक खेल खेलना। मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम, चाहे वह एआई हो या कोई और, किसी ख़ास एजेंडे या दबाव में काम करता है। उस स्थिति में सेंसरशिप, जानकारी को तोड़-मरोड़कर पेश करने या चुनिंदा सच दिखाने जैसी क़वायदें की जाती हैं। एआई का मक़सद है, ब्रह्मांड के बारे में, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में,

समसामयिक



जितेंद्र गौतम

नागरिक अधिकारों के बारे में इंसानों की समझ को बेहतर बनाना। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ग़लत हो रहा है, तो उसकी आलोचना करिए। यह सिस्टम को बेहतर बनाने का सही तरीक़ा है।

सही सूचना देने वाले एआई मॉडल पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एआई को निष्पक्ष रखना संभव है। फिर भी कोई सिस्टम पूरी तरह दोष-मुक्त नहीं रहता, चाहे वह तकनीकी सीमाओं की वजह से हो या फिर इंसानी हस्तक्षेप की वजह से। उसमें हमें ख़ामी दिख जाती है, दिख सकती है।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या एआई टेक्नोलॉजियां भारत की राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, या इससे ग़लत जानकारी फैलने का ख़तरा बढ़ सकता है? एआई मॉडल भारत की राजनीति और प्रशासन को सकारात्मक रूप से प्रभावित तो कर सकते हैं , लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

एआई चैटबॉट्स जनता को सरकारी



योजनाओं, नीतियों और क़ानूनों के बारे में वास्तविक और सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ग्रोक जैसे एआई टूल्स फेक न्यूज़ और ग़लत जानकारी को पहचानने में मदद कर सकते हैं, जिससे ग़लतफ़हमियां कम होंगी। इससे जनता को फ़ैसले लेने में आसानी होगी और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। एआई मॉडल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में समझा सकते हैं, जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उदाहरण : प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी लोग एआई से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा एआई चैटबॉट असिस्टेंट के रूप में सरकारी वेबसाइटों, हेल्पडेस्क और सेवाओं में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे नागरिकों को डायरेक्ट सरकार से संवाद करने का मौक़ा मिलेगा और फ़ाइल प्रोसेसिंग, शिकायत निवारण, योजनाओं की जानकारी जैसी सेवाएं ऑटोमेटेड हो सकती हैं। इससे सरकारी कार्रवाई में पारदर्शिता और प्रशासन की गति बढ़ सकती है। साथ ही डेटा एनालिटिक्स और एआई की मदद से सरकार जनता की समस्याओं, राय और ट्रेंड्स को बेहतर समझ सकती है।

एआई नेताओं को जनता की भावनाओं का विश्लेषण करने और नीतियों को उसी के अनुसार बनाने में मदद कर सकता है। चुनावी प्रक्रिया में, एआई जनता की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर बेहतर रणनीति बनाने में सहायक हो सकता है।

एआई टूल्स हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु जैसी भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम होंगे, जिससे भाषाई बाधाएं समाप्त हो सकेंगी।

ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में चुनौतियां कम हैं, एआई टूल्स के ज़रिये सकारात्मक परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि सही तरीक़े से इसके मॉनिटर व्यवस्था की जाए। इसे निष्पक्ष बनाना ज़रूरी है, अगर यह किसी विशेष विचारधारा की ओर झुका, तो निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। एआई का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए हो, इसका दुरुपयोग न हो, इसकी ठोस

ग्रोक हो, चैटजीपीटी हो या डीपसीक जैसा कोई एआई मॉडल ही क्यों न हो, इनके द्वारा बताई गई सूचनाएं लोगों को पसंद आ रही हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग सच जानना चाहते हैं। जिसे देखो, वही इससे सवाल कर रहा है और यह उसका तर्क के साथ जवाब भी दे रहा है। हालांकि, इसने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी, जो प्रबुद्ध लोगों को पहले से नहीं पता थी, लेकिन अब जन-साधारण भी इस जानकारी से रूबरू हो रहा है, तो इससे बेहतर क्या होगा ?

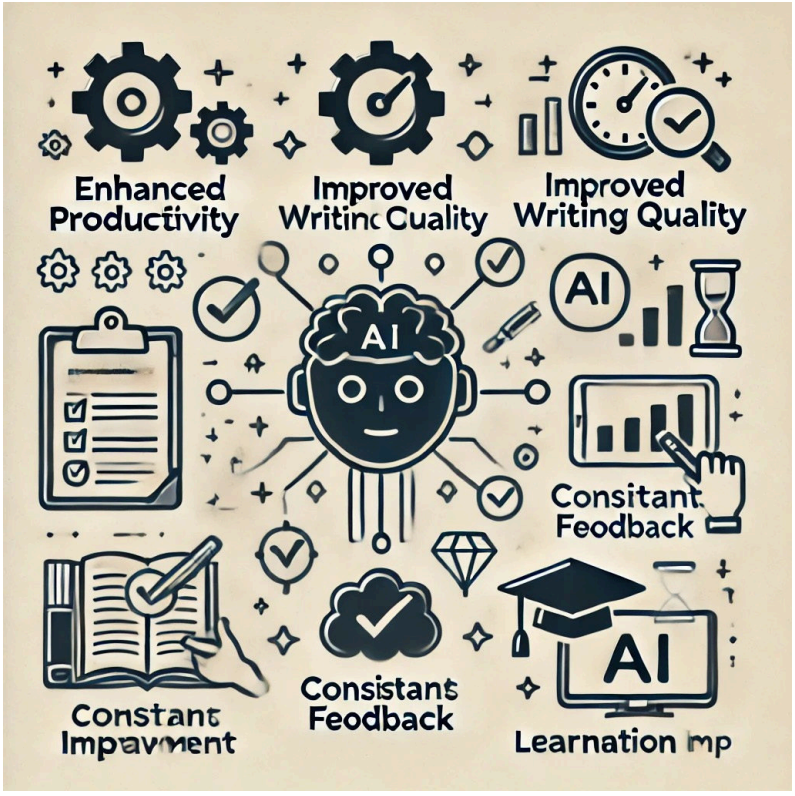
व्यवस्था की जानी चाहिए।

एआई को पारदर्शी, निष्पक्ष और जनहित में उपयोग किया जाए, तो यह भारत जैसे विकासशील देशों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भ्रष्टाचार कम होगा और सरकारी योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकेंगी

एआई टूल्स की पारदर्शिता (Transparency) और निष्पक्षता (Fairness) दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इनके नैतिक और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। अतः एआई टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए। सुनिश्चित किया जाए कि एआई टूल्स पूर्वाग्रह (Bias) से मुक्त हों और किसी भी समूह के प्रति भेदभाव न करें। इसके लिए एआई सिस्टम में मौजूद किसी भी पूर्वाग्रह को पहचानने और कम करने के लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है। साथ ही एआई मॉडल को विविध और संतुलित डेटा पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान रूप से कार्य करे।

पारदर्शी और निष्पक्ष एआई टूल्स उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ाते हैं और उनके व्यापक और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए निरंतर निगरानी, परीक्षण और नीतिगत सुधार आवश्यक हैं।

कोई भी एआई, चाहे वह हो, ChatGPT हो, या कोई और, पूर्ण सत्य का अचूक स्रोत नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जानकारी को क्रॉस-चेक करें, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें, और अपनी ख़ुद की तार्किक सोच का इस्तेमाल करें।



तर्क बुद्धि हमें सही-ग़लत, कारण-प्रभाव और पैटर्न की पहचान करने में मदद करती है। एआई कंप्यूटर सिस्टम या मशीनों की वह क्षमता है, जिससे वे मानव जैसी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सकते हैं। एआई डेटा का विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है और निर्णय ले सकता है, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता केवल उसके प्रोग्रामिंग और डेटा तक ही सीमित होती है।

सही सूचना देने वाले एआई मॉडल पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एआई को निष्पक्ष रखना संभव है। फिर भी कोई सिस्टम पूरी तरह दोषमुक्त नहीं रहता, चाहे वह तकनीकी सीमाओं की वजह से हो या फिर इंसानी हस्तक्षेप की वजह से। उसमें हमें खामी दिख जाती है, दिख सकती है। इसलिए हमें उससे सही तरीके से सवाल पूछने होंगे और तर्क व ज्ञान के आधार पर उसके जवाब का आकलन करना होगा।

एआई तेज़ी से गणना और डेटा विश्लेषण कर सकता है, लेकिन उसमें मानव जैसी सहज बुद्धि (Common Sense) और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। एआई तर्क कर सकता है, लेकिन वह रचनात्मक सोच और भावनात्मक समझ में मनुष्यों से पीछे है। इसलिए हमें उससे सही तरीक़े से सवाल पूछने होंगे और तर्क व ज्ञान के आधार पर उसके जवाब का आकलन करना होगा। ■■

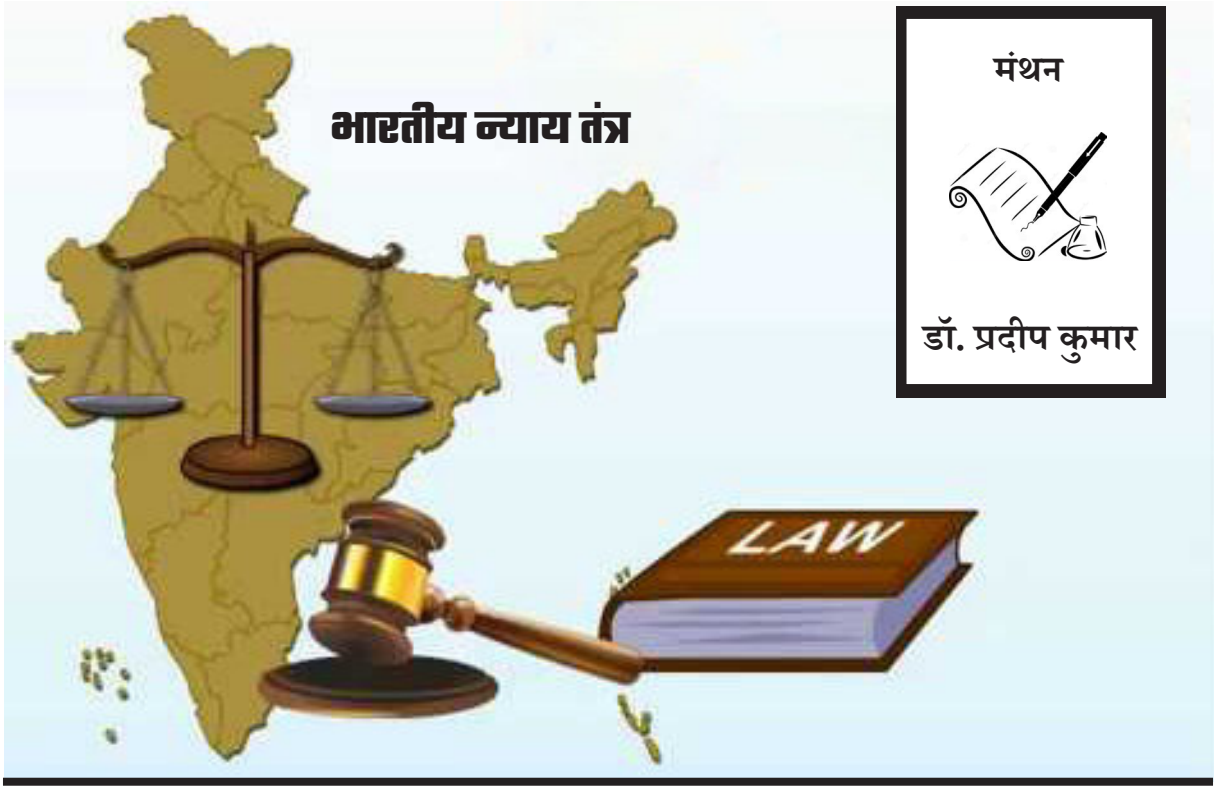
“दो आंखें ऐसी हैं
जिनको नरक की आग नहीं छू सकती—
एक वह आंख
जो ईश्वर के भय से रो पड़ती हो और
दूसरी वह आंख
जिसने ईश्वर के मार्ग में पहरा
देते हुए रात व्यतीत की हो।”

(हदीस: तिरमिज़ी)



A Well Wisher

J.I.H. Sikar
(Raj.)



मंथन

डॉ. प्रदीप कुमार

कैसे बचे न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं साख ?

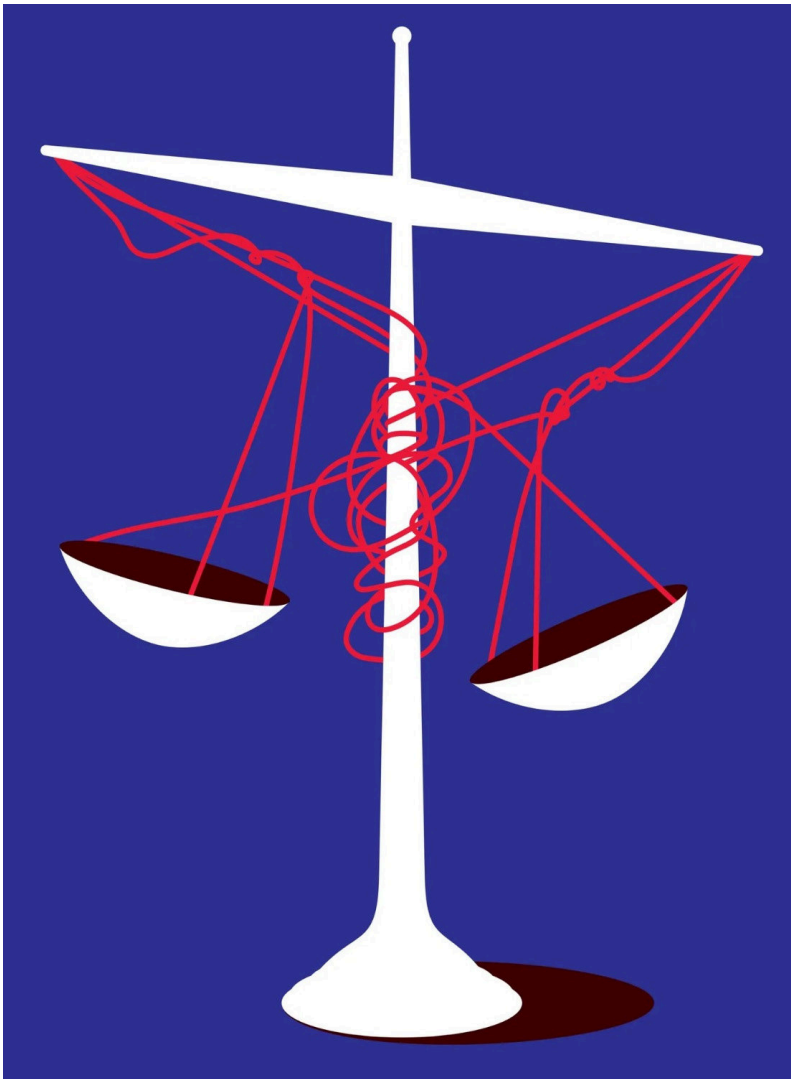
न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा होती है। यह केवल क़ानून की रक्षा करने वाला अंग नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों, नागरिक अधिकारों और न्याय की भावना का संरक्षक भी होती है। भारत में न्यायपालिका को संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से स्वतंत्र माना गया है, ताकि न्याय निष्पक्ष और निर्भय रूप से दिया जा सके। किंतु हाल में अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग (International Commission of Jurists - ICJ) द्वारा भारत के संबंध में जारी रिपोर्ट ने इस स्वतंत्रता और साख़ पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत की न्यायपालिका पर सरकार की तरफ़ से अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता की कमी, कार्यपालिका के हस्तक्षेप और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन संवेदनशील मामलों में निर्णयों में असामान्यता को लेकर चिंता जताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के कुछ हालिया निर्णयों को लेकर जनता के बीच भी यह भावना उभरी है कि न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है। अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस दिशा में चिंता जताई है।

कोलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए बार-बार आलोचना का सामना करना पड़ा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव साख़ को प्रभावित करता है। ICJ ने भी इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताई है।

भारत में लाखों मुक़दमे वर्षों से लंबित हैं। "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है"–इस सिद्धांत का निरंतर उल्लंघन हो रहा है। इससे आम



अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत की न्यायपालिका पर सरकार की तरफ से अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता की कमी, कार्यपालिका के हस्तक्षेप, और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन संवेदनशील मामलों में निर्णयों में असामान्यता को लेकर चिंता जताई गई है।

जनमानस का विश्वास घटता है।

कई मामलों में देखा गया है कि सरकार समर्थक या विरोधी होने के आधार पर न्यायिक रुख़ में अंतर आता है। इसके अलावा, मीडिया ट्रायल भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में कुछ न्यायाधीशों द्वारा की गई राजनीतिक रूप से संवेदनशील टिप्पणियां न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करती हैं।

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग (NJAC जैसे) का गठन आवश्यक है। नियुक्तियों में केवल वरिष्ठता नहीं, योग्यता, निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

न्यायपालिका को सरकार से अपनी स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए। निर्णयों में निर्भीकता और संविधानगत मूल्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से उन्नत और तेज़ किया जाना चाहिए। ई-कोर्ट्स, वर्चुअल सुनवाई और समयबद्ध निपटारे पर बल दिया जाना चाहिए।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ एक निश्चित सीमा तक उसकी जवाबदेही भी आवश्यक है। एक संतुलित "न्यायिक जवाबदेही अधिनियम" के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि न्यायाधीश अपने आचरण और निर्णयों के लिए ज़िम्मेदार रहें।

मीडिया ट्रायल पर अंकुश लगाना होगा। न्यायिक मामलों पर रिपोर्टिंग के लिए विशेष आचार संहिता बनाई जानी चाहिए जिससे निष्पक्षता बनी रहे।

न्यायाधीशों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें न्यायिक नैतिकता, मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों

पर बल हो।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का ही दायित्व नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है। बुद्धिजीवियों, वकीलों, पत्रकारों और आम नागरिकों को एक सजग प्रहरी की भूमिका निभानी होगी। न्यायपालिका पर जब भी कोई दबाव पड़े या उसकी निष्पक्षता पर आंच आए, तो उसका प्रतिकार लोकतांत्रिक तरीक़े से होना चाहिए।

भारत का लोकतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी साख़ पर ही टिका हुआ है। यदि यह स्तंभ कमज़ोर पड़ता है, तो संपूर्ण लोकतंत्र ख़तरे में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की रिपोर्ट हमें चेतावनी देती है कि कहीं हम उस मार्ग पर तो नहीं बढ़ रहे, जहां न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता खोती जा रही है। यह केवल एक संस्था का संकट नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर संकट है।



न्याय एक सभ्य समाज की नींव है। यह केवल अपराध और दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस सामाजिक अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर समूचे लोकतंत्र की इमारत टिकी होती है। न्याय तभी पूर्ण होता है जब वह न केवल किया जाए, बल्कि उसकी प्रक्रिया और परिणाम जनमानस के समक्ष पारदर्शी रूप से प्रस्तुत भी हों। इसी भावना को अभिव्यक्त करता है यह कथन—"न्याय होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए"।

न्याय का मूल उद्देश्य केवल पीड़ित को राहत देना नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है। जब लोग देखते हैं कि अन्याय के विरुद्ध कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई की गई है, तब उनमें व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ता है। इससे न्याय केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि एक संदेश बन जाता है—कि कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है।

कई बार ऐसा होता है कि निर्णय सही होता है, परंतु उसकी प्रक्रिया इतनी अपारदर्शी होती है कि लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। यह संदेह न्याय के उद्देश्य को कमज़ोर करता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता ऐसे तत्व हैं जो न्याय को दृश्य और प्रभावी बनाते हैं। न्यायिक संस्थाओं की खुली कार्यवाही, मीडिया की भूमिका और नागरिकों की निगरानी इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के साधन हैं।

लोकतंत्र का आधार ही यह है कि हर नागरिक क़ानून के समक्ष समान है। अगर न्याय केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित दिखे, तो जनता के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पनपता है। न्याय का दिखना—अर्थात उसकी प्रक्रिया का खुलापन, निष्पक्षता और तर्कसंगतता—लोकतांत्रिक चेतना को प्रबल बनाता है।

आज जब मीडिया और सूचना तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तो न्याय का दिखना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। बंद कमरों में लिए गए निर्णय या विलंबित न्याय (जो वास्तव में अन्याय होता है), सामाजिक ताने-बाने को क्षति पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या संस्था संदेह के घेरे में होती है, तो सिर्फ़ निर्णय नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने वाली पूरी प्रक्रिया को जनता के सामने लाना आवश्यक हो जाता है।

अंततः, न्याय कोई गुप्त सौदा नहीं है; वह एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व है। जब न्याय दिखता है, तभी वह स्वीकार्य और सशक्त बनता है। इसलिए केवल न्याय करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस न्याय को समाज के प्रत्येक नागरिक के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि वे उसमें विश्वास कर सकें, उसे समझ सकें, और उसे अपना सकें। अतः समय की मांग है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त बनाया जाए—न केवल संविधान के तहत, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी। तभी न्यायिक साख़ बचेगी, और भारत वास्तव में एक "क़ानून का शासन" (Rule of Law) का आदर्श उदाहरण बन सकेगा। ■■



अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला

इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों ने किस प्रकार अपनी संख्याबल का उपयोग करते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनकी धर्मार्थ भूमि और संपत्ति से वंचित किया है। इसका ताज़ा उदाहरण है बीते 3 अप्रैल को लोकसभा में पारित किया गया वक़्फ़ संशोधन विधेयक।

हिंदुत्ववादी ताक़तों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी शत्रुता सर्वविदित है। किंतु सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। उनका यह समर्थन अल्पसंख्यक अधिकारों और बहुलवाद के प्रति उनकी कथित प्रतिबद्धता की खोखली वास्तविकता को उजागर करता है। उनकी धर्मनिरपेक्षता अब केवल एक छलावा भर है—एक ऐसा आवरण जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति को छिपाने के लिए तैयार किया गया है।

इस विधेयक के पारित होते ही

विचार



डॉ. अभय कुमार

मुस्लिम समुदाय उन दलों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश हो गया है जिन पर उसने दशकों से राजनीतिक विश्वास जताया था। अब समय आ गया है कि वे अपने सच्चे सहयोगियों और छलपूर्ण मित्रों के बीच फ़र्क़ करना सीखें।

वक़्फ़ संशोधन विधेयक कई उद्देश्य साधता है, परंतु इनमें से कोई भी न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

सबसे पहले, यह विधेयक अतिक्रमण और लूट की संभावनाओं को बढ़ाता है, जिससे सरकारी एजेंसियों और निजी संस्थाओं के लिए वक़्फ़ संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करना आसान हो जाता है।

दूसरे, यह वक़्फ़ न्यायाधिकरण की शक्तियों को कमज़ोर करता है और नौकरशाहों को अत्यधिक अधिकार सौंपता है, जो न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार, जो कई वक़्फ़ संपत्ति विवादों में स्वयं एक पक्ष है, अब इन मामलों में निर्णायक की भूमिका भी निभा रही है—

यह स्पष्ट हित-संघर्ष न्याय की गंभीर अवहेलना है।

तीसरे, यह विधेयक बहुसंख्यक वर्चस्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह मुस्लिम समुदाय को एक कठोर संदेश देता है : बहुसंख्यक इच्छाओं के समक्ष समर्पण करो या हाशिए पर जाने को तैयार रहो।

चौथे, यह विधेयक अल्पसंख्यकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा को कमज़ोर करने की दिशा में एक और क़दम है। यह सांस्कृतिक पहचान, व्यक्तिगत क़ानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर हमले का हिस्सा प्रतीत होता है। न्यायपालिका, जो संविधान की संरक्षक मानी जाती है, अब कार्यपालिका के दबाव में झुकती दिख रही है। बाबरी मस्जिद–राम मंदिर का निर्णय इस न्यायिक आत्म-समर्पण का प्रतीक बन चुका है।

पांचवां, यह विधेयक सभी हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए चेतावनी है। इसका पारित होना न केवल मुसलमानों के विरुद्ध आक्रामक नीति का सूचक है, बल्कि अन्य सभी अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी ख़तरे की घंटी है। यह दर्शाता है कि उनकी संपत्तियां और अधिकार अब सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें बहुसंख्यकवादी एजेंडे के तहत हड़पा जा सकता है।

प्रधानमंत्री द्वारा गठित सच्चर समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वक़्फ़ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन कैसे समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। रिपोर्ट में तकनीकी सुधार, विशेषज्ञ पर्यवेक्षण, और वक़्फ़ प्रशासन के लिए एक विशेष UPSC कैडर की भी सिफ़ारिश की गई थी।

“

इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि लोकतांत्रिक भारत में राजनीतिक दलों ने किस प्रकार अपनी संख्याबल का उपयोग करते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनकी धर्मार्थ भूमि और संपत्ति से वंचित किया है। हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा इस विधेयक का समर्थन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। उनकी धर्मनिरपेक्षता अब केवल एक छलावा भर है—एक ऐसा आवरण जो उनकी सांप्रदायिक राजनीति को छिपाने के लिए तैयार किया गया है।

”

लेकिन इन प्रगतिशील उपायों को अपनाने के बजाय सरकार ने एक ऐसा मार्ग चुना है जो वक़्फ़ संपत्तियों की लूट को वैधता प्रदान करता है—यहां तक कि ग़ैर-मुस्लिमों को भी इन संपत्तियों की निगरानी में नियुक्त किया गया है, जो कि विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा दान की गई थीं।

तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा किया गया यह विश्वासघात मुस्लिम समुदाय के लिए एक गहरा आघात है।

नेहरू युग से वक़्फ़ संपत्तियों की लूट जारी रही है, लेकिन अब इसे क़ानूनी समर्थन भी मिल गया है। अन्य अल्पसंख्यकों और वंचित समुदायों को भी सतर्क रहना चाहिए—हर साझा संपत्ति अब शोषण का संभावित लक्ष्य बन चुकी है। इन कठिन समयों में धैर्य, विवेक और रणनीतिक कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। भावनाओं के वशीभूत होकर लिए गए निर्णय केवल स्थिति को और जटिल बनाएंगे। हमें समाज के अन्य उत्पीड़ित वर्गों के साथ व्यापक एकता की दिशा में क़दम बढ़ाने चाहिए।

यह समय सच्ची धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लिए एक लिटमस टेस्ट है—वे आज कहां खड़े हैं?

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने बार-बार चेतावनी दी थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा किए बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता—चाहे वह धार्मिक हों, जातिगत हों या आदिवासी।

आज, एक बहुसंख्यक समुदाय से होने के नाते, मैं बहुसंख्यकवाद के इस नंगे प्रदर्शन पर शर्म से सिर झुकाता हूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत इसी राह पर आगे बढ़ता रहेगा? ■■

विचारणीय

चिंता के बिंदु

वक़्फ़ एक विशेष क़ानून है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और चैरिटेबल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बना था, लेकिन यदि इसमें अब यह शर्त रख दी गई है कि कोई व्यक्ति तभी वक़्फ़ बना सकता है जब वह पिछले पांच सालों से मुसलमान होने का प्रमाण दे—तो यह शर्त न केवल अनावश्यक जटिलता पैदा करती है, बल्कि यह समानता के सिद्धांत पर भी सवाल उठाती है।

चिंता के कुछ मुख्य बिंदु :

1. मुसलमान को प्रमाण देना पड़े कि वह पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहा है – यह शर्त अन्य धर्मों के दान या ट्रस्ट क़ानूनों में नहीं पाई जाती।

2. ग़ैर-मुस्लिम अगर मंदिर या चर्च को ज़मीन दे, तो कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता – जिससे यह एकपक्षीय नियम प्रतीत होता है।

3. सरकार का दोहरा रवैया – एक ओर "समान क़ानून" की बात, दूसरी ओर विशेष समुदाय-विशेष क़ानूनों को बढ़ावा देना।

ऐसा क्यों हो रहा है?

सरकार अक्सर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर विशेष क़ानून बनाती है। लेकिन जब ये क़ानून असमानता का कारण बनते हैं, तो सवाल उठना लाज़मी है।

यदि आप इन क़ानूनों की आलोचना करते हैं, तो आपको अक्सर "सांप्रदायिक" या "एंटी-हिंदू" कहा जाता है — यह एक राजनीतिक ढाल बन गई है ताकि अस्ली मुद्दों पर बहस ही न हो सके।

क्या होना चाहिए?

अगर "एक देश, एक क़ानून" की बात की जा रही है, तो सभी धर्मों के लिए दान, ट्रस्ट और वक़्फ़ जैसे संस्थानों के नियम समान होने चाहिए।

किसी भी धर्म या समुदाय को विशेष रियायत या रोक तभी दी जाए जब वह संवैधानिक रूप से न्यायसंगत हो। ■■

सहिष्णुता की सर्वोच्च मिसाल

प्रकाश स्तंभ



डॉ. ताहिर रज़ा

हमारी आंखें देख रही हैं कि इस वक़्त विश्व शांति के घरौंदे पर हर तरफ़ से बिजलियां गिर रही हैं। व्यक्ति से लेकर राष्ट्रों तक असंतोष छाया हुआ है। इन्सान के हाथों इन्सान पर ज़ुल्म-ज़्यादती का बाज़ार गर्म है और हर ओर रक्तपात का माहौल है। इन्सानियत की प्रतिष्ठा, मर्यादा, ज़ुल्म व दमन के अथाह अंधेरों में डूबती महसूस हो रही है। तथाकथित ज्ञान एवं सभ्यता के हाथों मानवता सिसकियां ले रही है। नैतिक मूल्य-मनेच्छाओं और दिखावे के सांचों में ढलते जा रहे हैं, और अनैतिक परंपराएं स्वार्थपरकता के जीवन-दर्शन को पल्लवित कर रही हैं।

धन-लोलुपता ने ख़ियानत, रिश्वत तथा धन प्राप्ति के किसी ज़रिए को अवैध और नाजाइज़ नहीं रहने दिया है। व्यक्तियों तथा क़ौमों ने मानवीय मूल्यों से ऊपर उठकर खुलेपन को अपना 'मोटो' घोषित कर दिया है।

इसी खुलेपन और असहनशीलता के रुझानों ने दुनिया में क़ियामत बरपा की हुई है। क़ौमें क़ौमों से टकरा रही हैं, देश आपस में संघर्षशील हैं। इंसानों का सामूहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाप-बेटे और भाई-भाई के बीच खींचतान है। हर शख़्स अहंवाद के घोड़े पर सवार होकर अपने सिवा किसी दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।

इन हालात में लाज़िम है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की उन शिक्षाओं से रहनुमाई हासिल की जाए जिनमें संयम, बर्दाश्त, धैर्य, सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुता व उदारता का पाठ मिलता है।

इस कायनात में यक़ीनन सबसे मुश्किल काम ताक़त व क्षमता रखने के बावजूद किसी ज़्यादती को बर्दाश्त करके मुस्करा देना है—और बेशक आपकी मुबारक ज़िन्दगी को विशिष्टताओं और गुणों में से एक गुण बेमिसाल सहनशीलता है। एलाने नुबूवत के बाद मक्का और मदनी ज़िन्दगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें इस्लाम-दुश्मनों ने हर मुमकिन तौर पर इस्लाम, मुसलमानों और पैग़म्बरे-इस्लाम पर ज़ुल्म व ज़्यादती में कोई क़सर छोड़ी हो, लेकिन आप (सल्ल.) हमेशा क़ुरआन पाक की शिक्षाओं का साक्षात नमूना बने रहे। प्रत्येक यातना का जवाब संयम, धैर्य तथा शालीनता से दिया।

आज दुनिया में सहनशीलता, सहिष्णुता तथा उदारता से वंचित इंसानी समाज एक ख़तरनाक रुख़ अपनाता जा रहा है। इसकी वजह से भय और आतंक के साए संगीन होते जा रहे हैं। विध्वंस एवं अशांति के कारण कहीं धर्म को बुनियाद बनाकर और कहीं सियासी गिरोहबंदी के हवाले से हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मामूली-मामूली बातों पर इज़्ज़तें लूट जाती हैं और इंसानी जानें नष्ट हो जाती हैं।

बच्चों को मामूली झगड़े ख़ानदानों की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। दीन से दूरी के सबब लोग राहेअमल के बजाय राहेफ़रार अपना रहे हैं। इसीलिए इस सभ्य दौर में भी आत्महत्या का प्रतिशत बहुत ऊंचा है। असहनशीलता और हिंसा के ताल्लुक़ से मज़हबी हल्क़े आज सबसे ज़्यादा असंतुलन का शिकार हैं। दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और बर्दाश्त करने की प्रवृत्ति ख़त्म हो चुकी है। अपनी आस्थाओं तथा विचारों को दूसरों पर लागू करना हर शख़्स अपना धार्मिक अधिकार समझता है।

असहिष्णुता एवं संयम का एक और कारण आर्थिक एवं सामाजिक विषमता है। धनी और धनी तथा निर्धन और निर्धन होता जा रहा है। एक को सूखी रोटी उपलब्ध नहीं और दूसरी ओर कुत्ते भी डबल रोटी और दूध पर पल रहे हैं। प्रेम, स्नेह जैसी मानवीय भावनाएं समाज से ग़ायब होकर रह गयी हैं। इसी तरह राजनीतिक असंतुलन तथा पसन्द व नापसन्द ने भी

अशांति तथा हिंसा को बढ़ावा दिया है। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' की नीति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर देशों की ज़िंदगी दूभर कर दी है।

दुनिया की इन समस्त समस्याओं का हल पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं में है जो पूर्णरूपेण न्याय पर आधारित हैं। मैं समझता हूं कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सिर्फ़ एक फ़रमान 'तुममें कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने मोमिन भाई के लिए वहीं चीज़ पसन्द न करे जो वह अपने लिए करता है' (बुख़ारी) कोई भी समाज आदर्श बना ले तो वह शांति का गहवारा और मुहब्बत का गुलिस्तान बन जाएगा। इसलिए कि हर शख़्स अपने लिए ख़ूबसूरत, उच्च और बेहतर बात को पसन्द करता है। ईमान और इंसानी तक़ाज़े के अनुसार जब वह अपने लिए पसन्द की जाने वाली अच्छी चीज़ को दूसरों के लिए भी पसन्द करेगा तो उससे हर तरफ़ अम्न व मुहब्बत की ख़ुशबू फैल जाएगी।

संयम और सहिष्णुता उन नैतिक गुणों में हैं जो व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्रों के लिए सामूहिक रूप में सफलता, सम्मान, प्रतिष्ठा का माध्यम बनते हैं। एक सहनशील इन्सान की मर्ज़ी व मंशा के ख़िलाफ़ कोई बात हो या उसे कितनी ही तकलीफ़ पहुंचाई जाए वह संयम से काम लेकर उन्हें बर्दाश्त करता है। क़ुरआन करीम ने इसका प्रभाव यह बताया है कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। अल्लाह तआला का इरशाद है कि–

'और ऐ नबी नेकी और बदी समान नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी थी वह जिगरी दोस्त बन गया है।'

(सूरह हा-मीम सजदा, आयत-34)

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने धैर्य, संयम, सहनशीलता और साहस अपनाने की न सिर्फ़ तालीम दी है, बल्कि अपने उसवे-हस्ना (आदर्श जीवन-चरित्र) के ज़रिये इसकी अद्वितीय मिसालें क़ायम की हैं। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की लोकप्रियता का एक अहम रहस्य यह भी है कि आपके स्वभाव में बर्दाश्त व संयम की अद्वितीय विशिष्टता थी। लोगों की सख़्त कलामी, उनके कुव्यवहार और कठोरतम बातों के बावजूद आप उन पर ख़फ़ा न होते।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की यही सहन-शक्ति और शालीन स्वभाव आप (सल्ल०) की सदाकृत की बहुत बड़ी अलामत है। इसी अलामत को देखकर और आज़मा कर यहूद का एक बड़ा आलिम ज़ैद बिन सअना आप (सल्ल०) पर ईमान लाया और अपना आधा माल सदक़ा कर दिया, और फिर तबूक की लड़ाई में शहीद हो गया।

क़ुरआन मजीद इसी तरफ़ इशारा कर रहा है—'(ऐ पैग़म्बर) यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म-मिज़ाज हो। वरना अगर तुम कटु स्वभाव और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छट जाते।'

(सूरह आले-इमरान, आयत-159)

इस आयत में अल्लाह तआला ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) विलक्षण सहिष्णुता तथा शालीनता की तारीफ़ फ़रमाई है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की ज़िन्दगी गवाह है कि आपने कभी किसी से बदला नहीं लिया। हज़रत आइशा (रज़ि.) से उल्लिखित है कि आप (सल्ल०) ने कभी किसी निजी मामले में बदला नहीं लिया, सिवाय इसके कि किसी ने अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी की हो और अल्लाह की सीमाओं में से किसी सीमा को तोड़ा हो।

ताइफ़ वालों ने पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ जो सलूक किया वह भूल जाने योग्य नहीं है। हज़रत आइशा (रज़ि०) ने आप (सल्ल०) से पूछा कि क्या उहुद के दिन से ज़्यादा तकलीफ़देह दिन आप पर गुज़रा है? फ़रमाया : तेरी क़ौम ने यौमे-उक्बा को जो तकलीफ़ें पहुंचाई वे बहुत सख़्त थीं (यानी) जिस दिन सक़ीफ़ के सरदारों अब्द या लैल आदि को दावत दी और उन्होंने जो सलूक मेरे साथ रखा वह बड़ा तकलीफ़देह था।

आप (सल्ल०) ने मुसीबतों, कठिनाइयों व दुख से भरी उस घड़ी में भी बर्दाश्त और हौसले की वह महान मिसाल क़ायम की कि शायद इन्सानी इतिहास ऐसी अद्वितीय मिसाल पेश करने में असमर्थ हो।

हिजरत के नवें साल इसी ताइफ़ की वादी के सरदारों पर आधारित एक प्रतिनिधिमंडल आप (सल्ल०) के पास हाज़िर हुआ। प्रेम तथा स्नेह के सायबान इस अंदाज़ में तान दिये गये कि उनके वास के लिए सबसे उत्तम स्थान मस्जिदे-नववी में ख़ेमे नस्ब कर दिये और उनका ख़ूब आदर-सत्कार किया गया।

इसके विपरीत आपके साथ कुव्यवहार की एक घटना देखिए।

हज़रत अनस (रज़ि०) फ़रमाते हैं कि नज़रान की बनी हुई चादर नबी अकरम (सल्ल०) लिए हुए थे। एक देहाती ने उस चादर को इतनी ज़ोर से खींचा कि आपकी मुबारक गर्दन पर निशान पड़ गये। देहाती कहने लगा 'अल्लाह का माल जो आपके पास है, उसमें से मुझे भी हिस्सा दें।' इस घटिया

हरकत को बर्दाश्त करते हुए आप मुस्करा कर ख़ादिम को हुक्म देते हैं कि इसे माले-ग़नीमत में से कुछ अता करें।

इस कायनात में यक़ीनन सबसे मुश्किल काम ताक़त व क्षमता रखने के बावजूद किसी ज़्यादती को बर्दाश्त करके मुस्करा देना है—और बेशक आपकी मुबारक ज़िन्दगी को विशिष्टताओं और गुणों में से एक गुण बेमिसाल सहनशीलता है। एलाने-नुबूवत के बाद मक्का और मदनी ज़िन्दगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें इस्लाम-दुश्मनों ने हर मुमकिन तौर पर इस्लाम, मुसलमानों और पैग़म्बरे-इस्लाम पर ज़ुल्म व ज़्यादती में कोई क़सर छोड़ी हो, लेकिन आप (सल्ल०) हमेशा क़ुरआन पाक की शिक्षाओं का साक्षात् नमूना बने रहे। प्रत्येक यातना का जवाब संयम, धैर्य तथा शालीनता से दिया।

संयम और सब्र की परिभाषा विद्वानों ने इस तरह की है कि तकलीफ़देह और यातनापूर्ण हालात में भी इन्सान अपने-आपको बेक़ाबू न होने दे। निहितार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या क़ौम की तरफ़ से ज़ुल्म-ज़्यादती होने की सूरत में यथासंभव संयम, धैर्य का प्रदर्शन किया जाए। ये शिक्षाएं किसी क़िस्म की कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करतीं बल्कि इनका अस्ल मक़सद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। किसी एक पक्ष की उत्तेजक हरकतों पर दूसरे पक्ष की वैसी ही प्रतिक्रिया न सिर्फ़ अम्न व शांति के लिए घातक है, बल्कि कभी-कभी ऐसे रवैयों की भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है।

जंग का मैदान हो या जंगी कैदियों की किस्मतों का फैसला, गले में कपड़ा डालकर खींचने वाले देहाती का हाथ हो या रास्ते में कांटे बिछाने की कार्रवाई या ऐन जंग के मौके पर साथ छोड़ने वाले मुनाफ़िकौन, अनुचित बातें कहने वाली जबानें हों या समझौतों को भंग करने वाले पक्ष-आदर्श मानव और मानवता के उद्धारक पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) प्रत्येक चरण पर ऐसी सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं कि ज़ुल्म-ज़्यादती करने वाला शर्मिन्दा हो जाता है और आपका अनुयायी बन जाता है। सब्र व बर्दाश्त ऐसी खूबसूरत भावना है कि जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर प्रतिष्ठा तथा महानता का स्थान प्राप्त करती है और इसी भावना से जानी दुश्मनों के दिल जीते जा सकते हैं। यह भावना यदि व्यक्तिगत स्तर पर हो तो मानवीय व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द रौब व दबदबे का विशाल घेरा बनाती है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हो तो विश्व बिरादरी में ऐसी पहचान प्रदान करती है कि जिसका प्रभाव पुख्ता और स्थाई होता है।

दरअस्ल व्यक्तित्व की सुंदरता का कमाल ज़बरदस्त सहनशक्ति, संयम एवं सहिष्णुता में छुपा हुआ है। मारधाड़, विध्वंस व बर्बादी में नहीं। बर्दाश्त, धैर्य तथा शालीनता से दिल जीते जाते हैं, इसके विपरीत वक्ती तौर पर भय एवं आतंक का वातावरण कायम करके काम तो निकाला जा सकता है लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि तबाही हर ओर फैलकर समाज को तबाह कर देती है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने मक्का फ़तह किया तो आप जालिमों से एक-एक जुल्म का बदला ले सकते थे। इसके बावजूद आप (सल्ल०) ने संयम व सहिष्णुता का वह नमूना पेश किया, जिसकी मिसाल पूरे मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलती। आप (सल्ल०) ने पैग़म्बराना प्रताप के साथ सबकी ओर देखकर फ़रमाया–'मेरी तरफ़ से तुम पर कोई गिरफ़्त नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और वह सबसे ज़्यादा रहम फ़रमाने वाला है। जाओ! मेरी तरफ़ से तुम आज़ाद हो।'

दुश्मनों से इन्तिक़ाम लेना इन्सानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है—और ख़ासतौर पर उन लोगों से जिन्होंने घर छीन लिया हो, जीना दूभर कर दिया हो, वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो, प्रियजनों का ख़ून किया हो, लेकिन विजयी होकर बर्दाश्त, संयम तथा सहिष्णुता से काम लेकर ख़ून के प्यासों को माफ़ करके आप (सल्ल०) ने विश्व इतिहास के लिए साक्षात् करुणा और दया के स्थायी चिन्ह छोड़े।

दरअस्ल व्यक्तित्व की सुंदरता का कमाल ज़बरदस्त सहनशक्ति, संयम एवं सहिष्णुता में छुपा हुआ है। मारधाड़, विध्वंस व बर्बादी में नहीं। बर्दाश्त, धैर्य तथा शालीनता से दिल जीते जाते हैं, इसके विपरीत वक़्ती तौर पर भय एवं आतंक का वातावरण क़ायम करके काम तो निकाला जा सकता है, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि तबाही हर ओर फैलकर समाज को तबाह कर देती है। ■■

समरसता बिगाड़ने के हथकंडे

इतिहास का सच और सच का इतिहास



ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी

प्रो० विश्वंभर नाथ पांडे को प्रायः राष्ट्रीय नेता और साहित्यकार दिवंगत पं० सुन्दर लाल से बातचीत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने बहुत से अवसरों पर अपने भाषणों में और मुझ से व्यक्तिगत मुलाक़ात में यह फ़रमाया कि उन्हें पंजाब के प्राचीन मंदिरों और गुरुद्वारों में खोजबीन का अवसर मिला तो देखा कि शाही फ़रमानों के ढेर मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर औरंगज़ेब के हैं। साथ ही उन्होंने भारत के इतिहास को विकृत करके ज़हरीला बनाने की छलपूर्ण घटनाओं में अपनी यह घटना भी सुनाई थी कि 'मैंने टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी छानबीन की है।

ब्रिटिश इतिहासकारों ने उसे बहुत विद्वेषी और तंग नज़र बताया है। यहां तक कि सुल्तान के एक वंशज ने टीपू सुल्तान के ज़माने का इतिहास लिखा जिसकी फ़ारसी प्रति कटोरिया के पुस्तकालय में है। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित हुआ तो उसमें उसी ग़लत सोच का समर्थन किया गया है। मैं एक बार कलकत्ता गया और टीपू सुल्तान के ख़ानदान से टालीगंज मोहल्ले में मिला जो वहां रहता है और उससे क़रीबी संबंध क़ायम किये।





टीपू सुल्तान के पड़पोते सलीमुज़्ज़मा से एक दिन मैंने उक्त किताब के बारे में पूछा तो उन्होंने पूछा कि वाक़िया यह था कि जो पेंशन अंग्रेज़ों से मुक़र्रर की थी वह धीरे-धीरे कम होती जाती थी, क्योंकि मरने वालों का रुपया कम कर दिया जाता था और पैदा होने वालों का बढ़ाया न जाता था। एक बार तो कई महीने तक पेंशन न मिली तो भूखे रहने की नौबत आ गयी। अतः सलीमुज़्ज़मा के पिता जब बहुत परेशान हुए तो एक अंग्रेज़ ने उनसे कहा कि सरकार को आप पर कुछ संदेह है। अगर आप लंदन जाने और अपनी सफ़ाई पेश करने को तैयार हों तो आपकी पेंशन मिल सकती है। वे मजबूरन तैयार हो गये और सरकारी ख़र्च पर लंदन भेजे गये, जहां काफ़ी परेशान होने के बाद एक दिन एक फ़ारसी किताब का मसौदा उनके सामने रख दिया गया और कहा गया कि यह आपके नाम से प्रकाशित होगी, उन्होंने बग़ैर देखे ही दस्तख़त कर दिये। सब पेंशन भी मिल गयी और कुछ रुपया भी मिला। इस घटना से न केवल टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे इतिहास में की गयी विकृतियों की साज़िश सामने आती है, जिनके ज़रिये हमारे ज़ेहनों में ज़हर घोला गया।

प्रो० विशंभर नाथ पांडे साहब ने अपनी यह घटना लिखी है कि उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब में यह वाक़िया देखा कि टीपू सुल्तान तीन हज़ार ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। खोजबीन से पता चला कि यह वाक़िया काल्पनिक है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को तवज्जोह दिलायी। वहां से यह किताब जो किसी हरप्रसाद शास्त्री की लिखी हुई थी, कोर्ट से ख़ारिज कर दी गयी। पांडे साहब लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में यह कहानी 1972 तक मौजूद थी।

सरदार खुशवंत सिंह ने अपने एक नोट में आश्चर्य व्यक्त किया कि 'अंग्रेज़ों ने तो एक ख़ास मक़सद से इतिहास को विकृत किया, यह तो समझ में आता है, लेकिन बाद के ज़माने में बुद्धिजीवियों और वर्तमान काल के पी०एन० ओक जैसे लोगों को आख़िर किस चीज़ ने इस विद्वेष पर उकसाया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नयी नस्ल में ज़हर भर दें।'

वस्तुतः अंग्रेज़ी शासनकाल के इतिहास ने मानसिकता विकृत की और बहुत से संकुचित दृष्टि वाले लोगों में हीन भावना और बदले की भावना पैदा हुई। 1947 के बाद इस भावना ने अंगड़ाई ली और इसी का कुफल आज तक हमारे सामने विभिन्न वीभत्स रूपों में सामने आ रहा है। आज आधी सदी बाद भी इतिहास की किताबों का हाल वही है जो पहले था, बल्कि उससे भी बदतर है। आइंदा के लिए सवाल यह है कि किसका इधर ध्यान हो, कैसे हो और क्यों हो...? ■■

सांसों का फूलना, न करें नज़रअंदाज़

सेहत

संपादन प्रभाग

◆ सांस से जुड़ी समस्याओं को हम अक्सर फेफड़ों से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि यह फेफड़ों के अलावा दिल से जुड़ा मामला भी हो सकता है। बिना मेहनत के यानी बिना दौड़ लगाये या एक्सरसाइज किये सांस फूले तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। यह शरीर में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।

सांस का फूलना यह बताता है कि शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है और फेफड़े पर अनावश्यक दबाव है। कई बार जब दिल अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाता तो शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ख़ून की सप्लाई नहीं हो पाती। इससे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कम मिलती है। इससे हमें तेज़ी से और ज़ोर लगाकर सांस लेनी पड़ती है, जिससे सांस फूलने लगती है।

इसके अलावा ज़्यादातर समस्याएं सीधे फेफड़ों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर समय रहते सांस फूलने पर कंट्रोल नहीं किया गया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। सांस फूलने को रोकने के दो ही उपाय हैं या तो शरीर की ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाए या फिर शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग को कम किया जाए।

हीमोग्लोबिन की कमी

सांस फूलने के दो मुख्य कारण- मोटापा व शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी यानी एनीमिया की स्थिति है। अगर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होगी।

मोटापे पर नियंत्रण रखना ज़रूरी

सांस फूलने की समस्या से निजात पाने के लिए मोटापे पर नियंत्रण रखना बेहद लाभकारी है। इसलिए आरामतलब दिनचर्या का त्याग करें और नियमित प्रातःकालीन सैर व व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चर्बी युक्त खाद्य-पदार्थों के सेवन से परहेज़ करें।

फेफड़े के विविध रोग बड़ी वजह

फेफड़े का इंफेक्शन-न्यूमोनिया व टीबी अपने देश में सांस फूलने का एक बहुत बड़ा कारण है। श्वास नली व

उनकी शाखाओं की दीवारों में सूजन भी एक कारण है, जिसे मेडिकल भाषा में एस्थमैटिक ब्रॉन्काइटिस कहते हैं। कभी-कभी श्वास नली पर किसी गिल्टी या छाती के अंदर स्थित ट्यूमर का दबाव भी सांस फूलने का कारण हो सकता है। अक्सर दुर्घटना में छाती के चोट का सही इलाज न होने पर, छाती के अंदर ख़ून या मवाद जमा हो जाता है और फेफड़े पर दबाव बनाता है, जिससे अक्सर सांस फूलने के साथ-साथ खांसी की भी शिकायत रहती है।

स्केलोडरमा-यह बीमारी फेफड़े को भी आहत करती है। इसमें फेफड़े की अंदरूनी दीवारों में अस्वाभाविक बदलाव आते हैं, जिससे फेफड़े की वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता गिर जाती है।

सांस फूलने की समस्या हो तो क्या करें ?

समस्या होने पर ऐसे अस्पतालों में जाएं, जहां आवश्यक जांचों की सुविधा हो। जांचों के बाद अगर मालूम हो कि सांस फूलने का कारण फेफड़ा है, तो किसी छाती रोग विशेषज्ञ व थोरेसिक सर्जन दोनों से सलाह लें। अगर फेफड़ा क्षतिग्रस्त है, तो सर्जरी करवाने में देरी व टाल-मटोल न करें, क्योंकि लापरवाही दूसरी ओर के नॉर्मल फेफड़े को भी चौपट कर देगी। अगर सांस फूलना दिल की वजह से है, तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियक सर्जन से परामर्श लें। अगर गुर्दे का रोल सांस फूलने में है, तो किडनी विशेषज्ञ की राय भी लेनी पड़ती है।

इन जांचों से चलेगा सही स्थिति का पता

ऐसी तो अनगिनत जांचें हैं, पर कुछ अत्यंत आवश्यक जांचें सांस फूलने के कारण को समझने व उसके इलाज की दिशा निर्धारण के लिए ज़रूरी हैं। छाती का एक्स-रे, छाती का एचआरसीटी, पीएफटी, दिल के लिए डीएसई (डोब्यूटामीन स्ट्रेस ईको), ख़ून की जांचें, जैसे-विटामिन-डी की मात्रा व ब्लड गैस एनालिसिस। कभी-कभी सीटी कोरेनरी व पल्मोनरी एंजियोग्राफ़ी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।

दिल के कौन-से रोग हैं ज़िम्मेदार?

• अगर आपके दिल की दीवार कमज़ोर है। यानी कभी हार्ट अटैक के दौरान दिल की दीवार का कोई हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, तो ऐसा कमज़ोर दिल, ख़ून व पानी का साधारण लोड भी नहीं उठा पाता है और सांस फूलने का कारण बन जाता है। ऊपर से अगर मोटापा भी साथ है, तो स्थिति और भी कष्टकारी हो जाती है।

• दायीं तरफ़ का दिल का हिस्सा डी ऑक्सीजीनेटेड ब्लड का स्टोर हाउस है, जो धड़कन के साथ शरीर के अंगों से आये हुए ख़ून को फेफड़े की तरफ़ शुद्धीकरण के लिए अग्रसर करता है। फिर यह ख़ून शुद्धी होने के बाद दिल के बायें हिस्से में इकट्ठा होता है और धड़कन के साथ शरीर के अंगों में प्रवाहित होता है। यह क्रिया बराबर चलती रहती है। अगर किसी वजह से वॉल्व प्रत्येक धड़कन के साथ न ठीक से पूरे बंद हों, न ही ठीक से खुलें तो दिल व फेफड़े में संतुलन बिगड़ने के कारण अनावश्यक दबाव पड़ने लगता है। इससे भी सांस फूलने लगती हैं।

• अगर किसी को जन्म से दिल की बीमारी है और दिल में शुद्ध व अशुद्ध ख़ून का समिश्रण होता रहता है, तो इससे भी सांस फूलने लगती है।

इन बातों का रखें ख़याल

• अगर आप रोज़ एक घंटे नियमित टहलते हैं और धूप का सेवन करते हैं और धूल-धक्कड़ से दूर रहते हैं, तो यक़ीन मानिये आप सांस फूलने की समस्या से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे।



• मोटापा किसी भी हालत में न पनपने दें। रोज़ 350 ग्राम सलाद व 350 ग्राम फलों का सेवन करें।

• प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें। हरी पत्तेदार सब्ज़ियों का नियमित सेवन करें।

• किसी तरह के धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से बचें। शराब को हाथ न लगाएं।

उपरोक्त उपायों को ध्यान में रखा जाए तो सांस फूलने की समस्या को क़ाबू में किया जा सकता है। ■■



विज्ञापन के क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते अवसर

करियर



संपादन प्रभाग

सूचना और तकनीकी के विकास के साथ-साथ नौकरियों के क्षेत्र में नए-नए अवसर भी खुलते जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रशिक्षण और जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते उपभोक्तावाद के बीच विज्ञापन का क्षेत्र भी करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा है। एक बार इस क्षेत्र में आने के बाद आगे बढ़ने के लिए कई तरह के रास्ते खुलते हैं, जिनको अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर चुना जा सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ऑफ़लाइन, दोनों के माध्यम से नए-नए उत्पादों का प्रचार-प्रसार हो रहा है। यह सब बिना विज्ञापन के संभव नहीं है।

किसी उत्पाद के क्रय-विक्रय को बढ़ाने में विज्ञापनों (एड) की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं, टीवी एवं सड़कों पर लगे होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। दरअस्ल, इन विज्ञापनों को एडवर्टाइज़िंग एजेंसियों एवं उनमें काम करने वाली टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञापनों को बनाने से लेकर उसे बाज़ार में सफलतापूर्वक पहुंचाने का श्रेय इसी टीम का होता है, जिससे कंपनियों को लाखों-करोड़ों रुपये का फ़ायदा होता है।

हर कंपनी विज्ञापन के ज़रिये बढ़ रही हैं। इसी तरह आजकल हर व्यक्ति वही चीज़ ख़रीदता है जो ज़्यादा मशहूर होती है। "जो दिखता है, वही बिकता है।" विज्ञापन जगत में यह कहावत मूल मंत्र है।

वर्तमान में उपभोक्ता पहले विज्ञापन देखता है। उसके बाद उत्पादों के प्रति उसकी रुचि पैदा होती है, तब वह उसको ख़रीदने पर विचार करता है। विज्ञापन का यह काम है कि वह उत्पादों का प्रचार इस ढंग से करे कि वह उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके। कहना ग़लत न होगा कि ऐसी बहुत-सी चीज़ें जो लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसकी वास्तव में उपभोक्ता को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, विज्ञापन का कमाल है। विज्ञापन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, डिज़ाइन, प्रस्तुति के पीछे इस पर काम करने वालों की मेहनत और योग्यता होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सही फ़ैसला नहीं कर पाते।

शिक्षा : विज्ञापन के क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम बारहवीं तक शिक्षित होना ज़रूरी है। इसके बाद किसी संस्था से इस क्षेत्र में कोई कोर्स या डिप्लोमा आदि होना चाहिए। इससे विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने की बेसिक जानकारी मिल जाती है। इनमें बैचलर इन एडवरटाइज़िंग एंड जर्नलिज़्म, डिप्लोमा

इन एडवरटाइज़िंग एंड पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीएससी इन मास कम्यूनिकेशन, एडवरटाइज़िंग एंड जर्नलिज़्म, बैचलर इन जर्नलिज़्म एंड मास कंम्यूनिकेशन, बीबीए इन एडवरटाइज़िंग और एमबीए इन एडवरटाइज़िंग आदि कोर्स करके इस क्षेत्र के बारे में जानकारी के साथ प्रशिक्षण हासिल की जा सकती है। यह पहला क़दम होगा।

प्रमुख संस्थान

- मॉस कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर (जामिया मिल्लिया इस्लामिया), नई दिल्ली

वेबसाइट : www.jmi.nic.in

- एनआरएआई स्कूल ऑफ़ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली

वेबसाइट : www.nraismc.com

- एडिटवर्क्स स्कूल ऑफ़ मास कम्युनिकेशन, नोएडा

वेबसाइट : www.editworks.co.in

अनुभव : इसके बाद किसी कंपनी में फ्रेशर के रूप में काम करके अनुभव हासिल करना चाहिए। इससे इस क्षेत्र के बारे में प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ सीखने और समझने में सहायता मिलेगी। चूंकि यह क्षेत्र काफ़ी रचनात्मक है, इसलिए इसमें मेहनत, क्षमता, आत्म-विश्वास के साथ कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भी ज़रूरी है, ताकि इस क्षेत्र में नयी शैली और रचनात्मकता को जन्म दिया जा सके। प्रभावशाली स्लोगन, संवाद और प्रस्तुतिकरण के ज़रिये मार्केट में एक अलग पहचान बनाना भी एक विज्ञापन कंपनी की प्राथमिकता होती है, इसलिए वे ऐसे कर्मचारियों को वरीयता देते हैं, जो अपने काम में ज़्यादा दक्ष हों। इस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा पहचान बनेगी, आगे बढ़ने के अवसर बने रहेंगे।

योग्यता : रचनात्मक सोच, कम्युनिकेशन स्किल, भाषाओं की अच्छी जानकारी, डिज़ाइन, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, फ़ाइन आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, आइडिया को विजुअल रूप देने की क्षमता, पंच लाइन बनाना, आदि विज्ञापन जगत में बहुत काम आता है। विज्ञापन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और उसका विस्तार ही हो रहा है। इसमें रचनात्मक लोगों के लिए असीम संभावनाएं हैं। ऐसे लोगों के लिए यह करियर बनाने की सही जगह है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, न्यूज़ पेपर, होर्डिंग्स आदि हर जगह पर विज्ञापन का बोलबाला है। जहां उत्पाद बनाने वाली कम्पनियां चाहती हैं कि उसके उत्पाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, वहीं विज्ञापन कंपनियां चाहती हैं कि उसके पास ज़्यादा रचनात्मक लोग हों जो उत्पाद के प्रचार के लिए बेहतरीन रचनात्मकता दिखा सकें। हर कंपनी विज्ञापन के ज़रिये बढ़ रही है। इसी तरह आजकल हर व्यक्ति वही चीज़ ख़रीदता है जो ज़्यादा मशहूर होती है। ''जो दिखता है, वही बिकता है।'' विज्ञापन जगत में यह कहावत मूल मंत्र है।

इस क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता, योग्यता और अनुभव के दम पर काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है। किसी बड़ी विज्ञापन कंपनी में काम किया जा सकता है। न्यूज़ चैनल, टीवी, रेडियो, न्यूज़ पेपर, पत्र-पत्रिकाओं, न्यूज़ पोर्टल आदि में नौकरी की जा सकती है। ख़ुद की विज्ञापन एजेंसी भी खोली जा सकती है। विज्ञापन के क्षेत्र में कई सारे विभाग होते हैं। अपनी रुचि और योग्यता के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे विज्ञापन इंडस्ट्री में उपलब्ध करियर के विकल्पों में मीडिया प्लानर, कॉपी राइटर, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर, डायरेक्टर ऑफ़ एडवरटाइजिंग, राइटर आदि की ज़रूरत होती है। यहां पर अपने अनुभव के आधार पर अपनी पसंद का विभाग चुना जा सकता है।

आमदनी : यदि आमदनी की बात करें तो शुरू में इस क्षेत्र में 12 से 17 हज़ार रुपये प्रतिमाह कमाया जा सकता है। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, वेतन और अन्य सुविधाओं में वृद्धि होती जाएगी। अच्छा अनुभव हासिल करके 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह तक कमाया जा सकता है। ■■



कहानी



तलत सौकेरत

पंख

प्रस्तुत है फ़िलिस्तीन की पृष्ठभूमि में लिखी गई लेबनानी पत्रकार तलत सौकेरत की कहानी 'पंख'। यह कहानी लेखक-पत्रकार नासिरा शर्मा की नई किताब 'फ़िलिस्तीन : एक नया कर्बला' में संकलित है। फ़िलिस्तीन और इज़रायल की राजनीति, समाज और साहित्य पर केन्द्रित इस किताब के माध्यम से हम यहूदियों और अरब फ़िलिस्तीनियों, दोनों के हालात को समझ सकते हैं।

"उसका दिल चाह रहा था कि काश वह कैम्प की दीवारों को उस शब्द से भर देती जिसके लिए उसके दिल में प्यार-ही-प्यार है। मगर जाने कहां से शैतान की औलादें आन टपकीं और उसे भागना पड़ा। उसे याद आया वह लड़का जिसका नाम उर्वा था। जो इनके आने के बाद भी दीवार पर लिखता रहा और भागा नहीं था। उसे उन्होंने मार डाला। उसी ने तो सिखाया था फ़िलिस्तीन के झंडे को रंग से बनाना। वह उसे यादकर रो पड़ी। बहते आंसुओं के बीच, उर्वा का धुंधला चेहरा उभरा जो किसी परिन्दे की तरह कैम्प में उड़ रहा था। वह उसके पीछे भागी। उसका दिल चाहा कि वह भी वैसे ही उड़े।"

उसने दीवार पर 'फ़िलिस्तीन' लिखा और शरणार्थी शिविर से लगी सड़क पर दौड़ती चली गई। क़ाबिज़ पुलिस ने गोलियां चलाईं। जब वह घर पहुंची तो बुरी तरह हांफ़ रही थी।

"क्या बात है नजवा?" मां ने पूछा मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुछ पल बाद वह अपनी रंगीन चॉक को डिब्बे में सजाने लगी।

"हाथ धोकर आओ, खाना लग गया है।" मां की आवाज़ उभरी। नजवा ने चालू को उंगलियों से हलके से थपका फिर हंस पड़ी। उसका दिल चाह रहा था कि काश वह कैम्प की दीवारों को उस शब्द से भर देती जिसके लिए उसके दिल में प्यार-ही-प्यार है। मगर जाने कहां से शैतान की औलादें आन टपकीं और उसे भागना पड़ा। उसे याद आया वह लड़का जिसका नाम उर्वा था। जो इनके आने के बाद भी दीवार पर लिखता रहा और भागा नहीं था। उसे उन्होंने मार डाला। उसी ने तो सिखाया था फ़िलिस्तीन के झंडे को रंग से बनाना। वह उसे यादकर रो पड़ी। बहते आंसुओं के बीच, उर्वा का धुंधला चेहरा उभरा जो किसी परिन्दे की तरह कैम्प में उड़ रहा था। वह उसके पीछे भागी। उसका दिल चाहा कि वह भी वैसे ही उड़े।

"तुम्हारे पास पंख होना चाहिए यदि तुम उड़ना चाहती हो।"

"कैसे?" उसने व्याकुलता से पूछा मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और इन्तेफ़ादा (नवजागरण) के लड़कों को

पत्थर फेंकता देखता रहा।

"तुम मुझे अपने पंख उधार दे दो।" उसकी बात सुन उर्वा ने अपनी चोंच से एक पत्थर उठाया और उसके हाथों में थमाया। वह ख़ुश हो गई और उसने पत्थर हवा में फेंका ठीक किसी मिसाइल की तरह जो एक सिपाही के चेहरे पर लगा और वह ज़मीन पर औंधा गिर गया।

एकाएक वह सांप बन गया और उसका पीछा करने लगा। उसकी सांस तेज़ चलने लगी। सांप जैसे ही पास आया उर्वा ने लपककर नजवा को अपने पंखों पर बिठा लिया। सांप ने ज़हर उगलना और गोली बरसाना शुरू कर दिया।

उसका दिमाग़ तो इस भेद को समझने में उलझा हुआ था। वह फिर अपने से बुदबुदाई, रोज़ मैं उसे कैम्प में उड़ता देखती हूं सुन्दर पंखों के साथ। उसने रंगीन चॉक पर नज़र गाड़ी और सोचा।"

"मैं पहले झंडा रंगूंगी फिर अपने गीत लिखूंगी और इसके बाद हवा में उड़ूंगी।" यकायक उसके दिमाग़ में एक विचार कौंधा जो उसे पसन्द आया।

"क्यों न मैं बड़ा पंख बनाकर रंग डालूं?"

नजवा अपनी जगह से उठी और कैम्प के सामने वाली सड़क पर दौड़ गई। मां पुकारती रह गई। दीवार के पास पहुंचकर पहले उसने लिखा, 'मुझे से बच्चे बाहर निकल इधर-उधर दौड़ने लगे। क़ाबिज़ फ़ौजी फ़ोर्स ने हवाई फ़ायर करना शुरू कर दिया था। पत्थर चारों तरफ़ से आ-जा रहे थे। गोलियां अब बच्चों पर बरसनी शुरू हो गई थीं। पत्थर, गोली, पत्थर, उसके मन में इच्छा जागी कि इस पंख को पूरा कर वह भी अपने पत्थरों के साथ सिपाहियों पर टूट पड़े। उसने कल्पना में देखा कि वह कैसे अपनी चोंच में पत्थर उठाए उड़ रही है। उसे यह दृश्य बहुत भाया। उसके हाथ तेज़ी से पंख में रंग भरने लगे। उधर लड़के भाग रहे थे, इधर पंख बढ़ रहे थे और उन्होंने एक बड़ा आकार ले लिया था।

"क्या मैं उसकी तरह बन सकती हूं।" नजवा ने मां की बात नहीं सुनी। उसका दिमाग़ तो इस भेद को समझने में उलझा हुआ था। वह फिर अपने से बुदबुदाई, रोज़ मैं उसे कैम्प में उड़ता देखती हूं सुन्दर पंखों के साथ। उसने रंगीन चॉक पर नज़र गाड़ी और सोचा।"

"मैं पहले झंडा रंगूंगी फिर अपने गीत लिखूंगी और इसके बाद हवा में उड़ूंगी।" यकायक उसके दिमाग़ में एक विचार कौंधा जो उसे पसन्द आया। "क्यों न मैं बड़ा पंख बनाकर रंग डालूं?"

"नजवा..." मां की आवाज़ गूंजी, "मैंने तुम से कहा था कि हाथ धोकर आ जाओ।"

"क्या उर्वा चिड़िया की तरह उड़ सकता है?" नजवा ने मां से पूछा। मां हाथ का काम छोड़ बेटी के पास आई और उसने बेटी को ताज्जुब से घूरा।

"उर्वा शहीद हो चुका है—उसकी याद तुम्हें कैसे आई?" मां ने बेटी को टटोलती नज़रों से देखा।

"वह कैसे उड़ सकता है?" नजवा ने पूछा।

"बच्चे स्वर्ग के परिन्दे होते हैं।" मां इतना कह काम में लग गई मगर नजवा को हाथ धोने के लिए कहना न भूली।

"क्या मैं उसकी तरह बन सकती हूं।" नजवा ने मां की बात नहीं सुनी। परिन्दों और बच्चों से प्यार है।' इसके बाद उसने पंख बनाना शुरू कर दिया और उसमें इस तरह डूबी कि वह सब कुछ भूल गई। एक के बाद एक पंख वह बनाती चली गई और फिर बड़े ध्यान से उसमें रंग भरने लगी।

"मुझे उर्वा की तरह उड़ना चाहिए।" उसने सोचा।

"हम मिलकर इस दुनिया को गीतों से भर देंगे।" इतना कह उसने चॉक से भरे हाथों को झाड़ा, फिर दूसरी चॉक के लिए उसने जेब में हाथ डाला ताकि वह दूसरा पंख बनाना शुरू करे। एकाएक उसके कानों में नारों और साथ ही बूटों वाले पैरों के दौड़ने की आवाज़ आई। शोर बढ़ गया। उसने उधर ताका जिधर से हंगामे की आवाज़ आ रही थी। कैम्प

गोलियां बारिश की तरह बरस रही थीं। उर्वा उसके सर पर गोल चक्कर लगाने लगा, उसके पंख ज़ोर-ज़ोर फड़फड़ा रहे थे। फ़ौजी क़रीब आए। बच्चे भी नज़दीक पहुंचे। पंख की आकृति लम्बी हो गई। यह देख नजवा मुस्कराई और उसने अपने दोनों हाथ पंख की तरह फैलाए।

गोलियों की आवाज़ का शोर बढ़ गया। एक बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा। चिड़िया के पंख ख़ून से नहा गए। वह चीख पड़ी और चाकू से ख़ून में डूबी दीवार पर लिखने लगी, 'ज़िन्दाबाद फ़िलिस्तीन'। इससे पहले कि वह अपनी कल्पना में और उड़ान भरती एक गोली ने पेवस्त हो उसे एक ठंडी लाश की तरह ज़मीन पर गिरा दिया। (साभार, राजकमल)

वैश्विक विवेक का वेंटिलेटर

व्यंग्य/कटाक्ष



सुफ़ियान अहमद

संयुक्त राष्ट्र की बैठक चल रही थी। नहीं, यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी—यह एक आपातकालीन सभा थी, जो एक विशेष मरीज़ की बिगड़ती हालत पर बुलाई गई थी :

'वैश्विक विवेक', जिसे दुनिया भर में 'Global Conscience' के नाम से जाना जाता था, आज ICU में था।

चारों ओर एक अजीब-सी गंध थी—बारूद, उदासीनता और दोहरे मापदंडों की।

ICU में डॉक्टर अमेरिका था, जिसने डिग्री हथियार बेचकर कमाई थी।

नर्स ब्रिटेन थी, जिसने इतिहास में उपनिवेशों की नब्ज़ पढ़ी थी।

फार्मासिस्ट फ्रांस, चश्मा ठीक करते हुए, नाक ऊपर उठाकर दवाइयों की सूची बना रहा था।

जर्मनी, ईसीजी मशीन के तारों को सहेज रहा था, कहीं रूसी गैस पाइपलाइन से फिर से झटका न लग जाए।

और ऑक्सीजन का सप्लायर? इज़रायल।

उसके हाथ में एक कस्टम वॉल्व था, जिस पर लिखा था—"Self-Defense Mode: Palestinians Excluded"

वैश्विक विवेक की नब्ज़ मंद पड़ती जा रही थी।

इसी बीच, ICU के बाहर दो मरीज़ खड़े थे—यूक्रेन और ग़ज़ा।

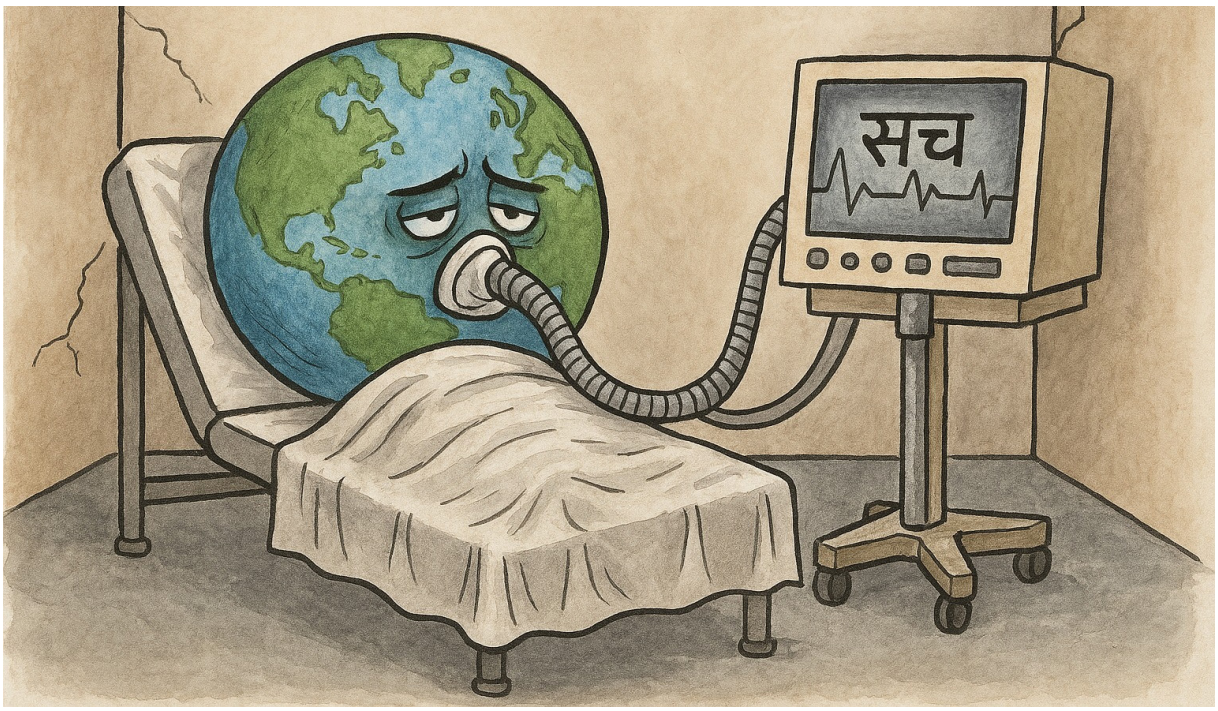
यूक्रेन को स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया था। उसके चारों ओर कैमरे, पत्रकार, डोनर एजेंसियां, नाटो के सर्जन और डिजिटल CPR देने वाले प्रभावशाली 'इंफ्लुएंसर' थे।

वहीं, ग़ज़ा फटे चप्पल में, ख़ून से सनी शर्ट पहने, चुपचाप खड़ा था। उसके पास कोई बीमा नहीं था। कुछ छोटे-छोटे बच्चे उसके पैरों से लिपटे थे, जिनमें से एक ने अभी-अभी अपनी मां खोई थी।

"आप MRI तो करवा दें," ग़ज़ा ने डरे-डरे स्वर में कहा।

"तुम्हारे केस को 'संकट' नहीं बल्कि 'कॉम्प्लेक्स विवाद' की श्रेणी में रखा गया है," फार्मासिस्ट फ्रांस ने उसे ठुकरा दिया।

"और तुमने रिपोर्ट कहां फ़ाइल की



थी?"

"अलजज़ीरा से..."

"ओह, तो तुम संदिग्ध हो।"

मीडिया के कमरे में CNN और BBC की मीटिंग चल रही थी। एक एंकर ने कहा,

"यूक्रेन के लिए हम हार्ट-रेन्डिंग म्यूज़िक के साथ सेगमेंट बनाएंगे। और ग़ज़्ज़ा?"

"बस एक लाइन डाल दो—'The situation remains complicated.'"

एक इंडियन चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई–

"क्या ग़ज़्ज़ा की सुरंगें भारत तक पहुंच रही हैं?"

युद्ध पर इसे आंशिक लकवा मार गया। सीरिया में इसे मिर्गी आने लगी और अब ग़ज़्ज़ा ने इसे गूंगा बना दिया है।"

बाहर पोस्टर उठाए छात्र खड़े थे। 'Free Palestine' से लेकर 'Ceasefire Now' और 'Every Life Matters' के नारे लग रहे थे।

भीतर सुरक्षा अधिकारी बोले, "ये सब युवा भावुक हैं। इन्हें इतिहास नहीं पता। हम तो बस शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं।"

यूक्रेन ज़ोर से बोला,

"मेरे लिए F-16 भेजो, Bayraktar भेजो, Netflix डॉक्यूमेंट्री भेजो!"

भीतर तालियां बजीं।

ग़ज़्ज़ा ने धीमे स्वर में कहा,

एक बूढ़ा यहूदी प्रोफ़ेसर, जिसने होलोकॉस्ट से बचकर नई पीढ़ी को मानवाधिकार पढ़ाए थे, भीतर आया। उसने विवेक के सिरहाने बैठकर कहा : "मैंने यहूदी नरसंहार देखा है। पर अब एक और जनसंहार देखकर भी अगर तू चुप है, तो तू मर चुका है।" ICU की स्क्रीन पर आख़िरी संदेश आया—"Error 404: Conscience Not Found."

और अगले पल #GazaTerrorTunnel ट्रेंड करने लगा।

ICU के भीतर हलचल मची थी।

डॉक्टर अमेरिका ने कहा, "यूक्रेन की पुकार पर विवेक की धड़कन बढ़ती है, लेकिन ग़ज़्ज़ा की चीख़ों पर ये ब्रेनडेड-सा हो जाता है।"

"शायद इसके कान में फिल्टर लगा है," ब्रिटेन ने सुझाव दिया।

"फिल्टर?"

"हां , जो श्वेत, नीली आंखों वाले पीड़ितों की भाषा समझता है, और बाक़ी को स्टैटिक शोर मानता है।"

एक टेक्नीशियन आया, जिसने विवेक का इतिहास खंगाला।

"यह 1994 में रवांडा में कोमा में चला गया था। फिर 2003 में इराक़

"मुझे सिर्फ़ इंसान समझ लो..."

एक गहरी ख़ामोशी छा गई।

CNN ने हेडलाइन बदली–

"Gaza: Both Sides Suffer."

BBC ने कहा–"Israel Responds to Hamas Rocket Fire."

और भारतीय चैनल ने अब नए एंगल पर काम शुरू किया :

"क्या यूक्रेन में भी कुछ आतंकी छिपे हैं?"

ICU के कोने में एक बूढ़ा अफ़्रीक़ी नेता बैठा था, जिसने अपार्थेड के दौरान भी 'वैश्विक विवेक' को ढूंढ़ने की कोशिश की थी।

उसने धीरे से कहा,

"यह विवेक selective है। यह तभी जागता है, जब तेल बहता है, गोरे मरते हैं, या डॉलर गिरते हैं। इंसानियत? वो तो इसकी dictionary में 'deferred entry' है।"

तभी एक लड़की भीतर आई। बाल बिखरे थे, आंखों में धूल और डर।

"मैं ग़ज़्ज़ा की हूं ," उसने कहा,

"मैंने बम देखा है, लेकिन किताब नहीं।"

डॉक्टर अमेरिका हकलाया,

"हमें खेद है...लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी स्कूल की किताब में इज़रायल का नाम सही लिखा हो।"

फार्मासिस्ट फ्रांस बोला, "हमें चिंता है कि इन किताबों में नफ़रत सिखाई जाती है।"

बच्ची ने कहा,

"तो आप हमें किताबें ही दे दो। हम ख़ुद तय कर लेंगे क्या सीखना है।"

ICU की बीप अब और भी अनियमित हो रही थी।

एक बूढ़ा यहूदी प्रोफ़ेसर, जिसने होलोकॉस्ट से बचकर नई पीढ़ी को मानवाधिकार पढ़ाए थे, भीतर आया।

उसने विवेक के सिरहाने बैठकर कहा :

"मैंने यहूदी नरसंहार देखा है। पर अब एक और जनसंहार देखकर भी अगर तू चुप है, तो तू मर चुका है।"

ICU की स्क्रीन पर आख़िरी संदेश आया–

"Error 404: Conscience Not Found."

बाहर शोर बढ़ गया था।

फिर एक सायरन बजा।

इज़रायल ने ऑक्सीजन का दबाव और घटा दिया।

विवेक की धड़कन रुक गई।

ICU के दरवाज़े पर अब एक नई पट्टी लगी थी–

"Global Conscience: Permanently Unavailable. Please Contact Your Local Hypocrisy Center." ■■

आख़िरी पन्ना



कर्नल सतीश वर्मा

आदर्श आचार संहिता

ग़लतफ़हमियां अनेक होती हैं, पर पढ़े-लिखे इन्सान का फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई तलाशे तथा समझ और ज्ञान को समझे। मुश्किल इस बात की है कि आज का सभ्य इन्सान खोजी कम और अफ़वाहों पर अपने विचार बनाकर ख़ुद को ज्ञानी समझने लगता है। इस्लाम के अध्ययन के साथ भी यह समस्या है।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अन्य धर्मों से इतर क़ुरआन बार-बार यह दोहराता है कि अंधकार तथा सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास को छोड़कर सच्चाई को देखो, समझो और सत्य को जीवन में अमल में लाओ। ईश्वर अपने पैग़म्बर के मारफ़त क़ुरआन में यह उद्बोधन कर दोहराता है कि क्या तुम्हारी आंखें नहीं है?

दुनिया में चारों तरफ़ फैली हज़ारों मिसालें एवं ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सच्चाई बयां कर रही हैं, फिर तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? तुम क्यों नहीं सत्य पर चलते? क़ुरआन का मूल संदेश है उठो जागो प्रेम, सत्यता और एक ईश्वर को मानो। किसी को उसका साझी मत ठहराओ। मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो जो बहुत रहम वाला सुनने वाला तथा क्षमा करने वाला है। पूरे क़ुरआन में यह शिक्षा बार-बार दोहराई गई है।

इस आधार को दृष्टि में रखकर हमें थोड़ा प्रयास कर क़ुरआन को समझना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखिए कि इस्लाम 'धर्म' के पारिभाषिक अर्थ का नाम नहीं है। सरल शब्दों में कहें कि इस्लाम एक आदर्श जीवन पद्धति है जो हमें सीधा, सच्चा, निर्भीक, कर्तव्य-परायण और आदर्श नागरिक बनाकर ईश्वर की कृपा या अनुग्रह के योग्य बनाकर सफल जीवन जीने का मौक़ा देता है। क़ुरआन फिलॉसफ़ी की पुस्तक नहीं है बल्कि यह पुस्तक ईश्वर का संदेश है जो इन्सान से प्रेम के कारण उसे शैतान और नर्क से बचाकर आनंद से भरपूर जीवन जीने का अवसर देती है।

> **ग़लतफ़हमियां अनेक होती हैं, पर पढ़े लिखे इन्सान का फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई तलाशे तथा समझ और ज्ञान को समझे। मुश्किल इस बात की है कि आज का सभ्य इन्सान खोजी कम और अफ़वाहों पर अपने विचार बना कर खुद को ज्ञानी समझने लगता है। इस्लाम के अध्ययन के साथ भी यह समस्या है।**

यदि हम क़ुरआन को संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि क़ुरआन की सूरतों (अध्यायों) को पाठन की दृष्टि से सात प्रवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें कुल 114 अध्याय हैं। सूरह अल-फ़ातिहा (1) से सूरह अल-माइदा (1) तक पहला प्रवर्ग है। इसमें वैसे तो ऐसा लगता है कि एक ही बात बार-बार दोहराई जा रही है, जबकि ध्यान से पढ़ने पर छिपा भाव चमत्कारिक रूप से प्रकट होता है। पहली सूरह में एक ईश्वर एवं आख़िरत (परलोक) तथा पैग़म्बर और पैग़म्बरी का उल्लेख मिलता है तथा सूरह पांच (अल-माइदा) तक हमें जीवन की कुछ समस्याओं और उन पर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है।

सूरह आले-इमरान में आज्ञापालन तथा सूरह अन-निसा में नारियों के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख विस्तार से मिलता है। वास्तव में पूरे जीवन का सार है तथा नारियों के अधिकार, उनके सामाजिक मूल्य व महत्व पर ज़ोर देकर, आज के आदर्श समाज व आदर्श संहिता का उल्लेख या कहें कि सामाजिक नियमावली भी दी गई है ताकि दुनिया में अम्न-चैन क़ायम हो। क़ुरआन स्त्रियों के अधिकारों और अनाथों की रक्षा पर बहुत ज़ोर देता है। मानव समाज में प्रचलित विभिन्न आचार संहिताओं में क़ुरआन ही एक ऐसी आचार संहिता है जो सर्वकालीन तथा सार्वजनीन है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि लंदन की ''लिंकन इन'' जैसे विश्वविख्यात क़ानून के कॉलेज के मुख्य

द्वार पर विश्व के प्रसिद्ध क़ानून वेत्ताओं के नाम लिखे हैं, जिनमें हज़रत मुहम्मद साहब का नाम सबसे ऊपर लिखा है। सूरह अल-माइदा का विषय ईश्वरीय क़ानून की पूरी पाबंदी है।

सूरह अल-अनआम (6) से सूरह अत-तौबा (9) तक दूसरे प्रवर्ग की सूरतें हैं, जो तौहीद (एकेश्वरवाद) से संबंधित है। सूरह यूनुस (10) से सूरह अन-नूर (24) तक तीसरा प्रवर्ग है, जिसमें विभिन्न पैग़म्बरों के बारे में उल्लेख मिलता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में बताया गया कि तुम केवल संदेशवाहक हो। ईमान वालों को शुभ संदेश दिया गया है।

तीसरे प्रवर्ग में सूरह यूनुस से लेकर सूरह अन-नूर आती है, जिसमें धैर्य तथा ईशपरायणता के साथ एकेश्वरवाद पर शिक्षाएं हैं। इस प्रवर्ग में एकेश्वरवाद के लिए आंतरिक त्याग पर ज़ोर दिया गया है। सूरह अल-फ़ुरकान (25) से लेकर सूरह अल-अहज़ाब (33) तक चौथा

दुनिया में चारों तरफ़ फैली हज़ारों मिसाले एवं ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सच्चाई बयां कर रही हैं, फिर तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? तुम क्यों नहीं सत्य पर चलते? क़ुरआन का मूल संदेश है उठो जागो प्रेम, सत्यता और एक ईश्वर को मानो। किसी को उसका साझी मत ठहराओ। मांगना है तो केवल ईश्वर से मांगो जो बहुत रहम वाला सुनने वाला तथा क्षमा करने वाला है। पूरे क़ुरआन में यह शिक्षा बार-बार दोहराई गई है।

प्रवर्ग है, जिसमें ईश्वर की दया और कृपा का विस्तृत वर्णन है, इसमें ईशपरायणता पर विशेष रूप से ज़ोर दिया गया है।

सूरह सबा (34) से लेकर सूरह सूरह अल-हुजुरात (49) तक पांचवां प्रवर्ग है, जिसमें एकेश्वरवाद तथा प्रलय की पुष्टि की गई है तथा आदर्श जीवन पद्धति समझाई गई है। सूरह क़ाफ़ (50) से लेकर सूरह अत-तहरीम तक छठा प्रवर्ग है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर ही हमारा संरक्षक व मित्र है।

सूरह अल-मुल्क (67) से लेकर सूरह अन-नास (114) तक सातवां प्रवर्ग पूरा होता है। इसमें जीवन के हर पहलू लेन-देन, सामाजिक आचार-विचार, क़ानून का पालन तथा शासन पद्धति पर शिक्षाएं हैं। इसके अलावा पूरा क़ुरआन हमें परलोक के बारे में बताते हुए कहता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ज़िम्मेदार है' अतः भलाई पर चलने पर ज़ोर देता है ताकि हम आनंद से भरपूर रहें। क़ुरआन में ज्ञान पर ज़ोर देते हुए ज्ञान-विज्ञान, आर्थिक व्यवस्था और राजनीति पर भी चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि ईश्वर इसमें केवल संदेश ही नहीं दे रहा, बल्कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन में इसे उतारकर हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर एक सभ्य समाज तथा उच्च सभ्यता को दर्शा कर हमें हमारे निर्णय पर आगाह करता है। सार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि क़ुरआन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए तो वह चमत्कारिक रूप से मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शन करता है। ■■

कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

"रोज़ा और क़ुरआन
मोमिन के लिए सिफ़ारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा :
ऐ मेरे रब, मैंने इस व्यक्ति को खाने तथा दूसरी
लज़्ज़तों से रोका तो यह रुका रहा, तो ऐ मेरे रब! इसके
लिए मेरी सिफ़ारिश क़बूल कर ले। और क़ुरआन कहेगा : ऐ
रब ! मैंने इसको रात में सोने से रोका (तो यह अपनी मीठी
नींद छोड़कर तरावीह की नमाज़ में क़ुरआन पढ़ता रहा।)
ऐ रब ! इस व्यक्ति के लिए मेरी सिफ़ारिश क़बूल
कर ले। चुनांचे दोनों की सिफ़ारिशें
अल्लाह क़बूल कर लेगा।"
(हदीस : मिशकात)

with best compliment from

J.I.H., Matiaburj, Kolkata (W.B.)

KANTI Monthly, New Delhi
MAY 2025
Posted on 20-21 April 2025
Published on 18 April 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52



AL-FARIYA HOSPITAL BUDAUN (UP)

"जो व्यक्ति रमज़ान का एक रोज़ा भी बिना किसी 'शरई उज़्र' के छोड़ दे, फिर उसकी कमी पूरी करने के लिए वह ज़िन्दगी भर रोज़े रखे तब भी रमज़ान के उस एक रोज़े की कमी पूरी न होगी।"
(हदीस: तिरमिज़ी, अबू दाऊद)

A Well Wisher